राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961

नियम	विषय	पृष्ठ सं.
	अध्याय 1	
	प्रारम्भिक	
1	संक्षिप्त नाम तथा विस्तार	5
2	परिभाषाएँ	5
	अध्याय 2	
	मण्डियों का गठन	
3	विशिष्ट क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय और विक्रय पर नियंत्रण लागू करने के इरादे की अधिसूचना	8
4	मण्डी क्षेत्र की घोषणा	8
5	मण्डी का यार्डों में विभाजन	8
5 A	प्राइवेट उप-मण्डी यार्डों की स्थापना	9
5 B	प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना	9
5 C	प्राइवेट उप-मण्डी यार्डों या उपभोक्ता कृषक मण्डियों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी, नवीकरण या रद्दकरण	9
	अध्याय 3	
	मण्डी समितियाँ	
6	मण्डी क्षेत्रों का वर्गीकरण और मण्डी समितियों का स्थापना	10
7	मण्डी समितियों का गठन	10-15
7 A	स्थानों का आरक्षण	15
7 B	अध्यक्ष के पदों का आरक्षण	16
7 C	आरक्षित स्थानों का अवधारण	16
8	मण्डी समिति का निगमन	16
9	मण्डी समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य	16-20
10	उप समितियां तथा संयुक्त समितियां नियुक्त करना	20
11	मण्डी समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके वेतन	20
11 A	कर्मचारी वर्ग में कमी करने या अनियमित नियुक्तियों को समाप्त करने का निदेशन	21

11 B	मण्डी समिति के सेक्रेटरी की नियुक्ति	21
12	सदस्यगण, अधिकारीगण आदि सार्वजनिक कर्मचारी समझे जायेंगे	21
13	संविदाओं का निष्पादन	22
14	मण्डी समिति की अनुज्ञप्ति जारी करने की शक्ति	22
15	धारा 14 के अधीन प्रदत्त लाइसेन्सों का स्थान करना या खारिज करना	23
15 A	मण्डी यार्डों से व्यक्तियों को हटाने की शक्ति	24
15 B	कृषि उपज की मण्डी का विनियमन	24
15 C	कृषि उपज का विक्रय	25
15 D	क्रय और विक्रय के निबंधन और प्रक्रिया	26
16	अपीलें	27
17	मण्डी शुल्क वसूल करने की शक्ति	28
18	मण्डी समिति निधि	28
18 A	मण्डी विकास निधि में अंशदान	29
19	प्रयोजन जिनके लिए निधि में से खर्चा किया जाएगा	29
19 A	किसान कल्याण कोष	30
20	ऋण लेने की शक्ति	31
21	भूमि का अधिग्रहण	31
21 A	जंगम या स्थावर सम्पत्ति का व्ययन	32
अध्याय 4		
व्यापारिक भत्ता		
22	निर्धारित तरीके के सिवाय कोई भी व्यापारिक भत्ता अनुज्ञ नहीं होगा	32
अध्याय 4 - ए		
राज्य कृषि मण्डी बोर्ड		
22 A	राज्य कृषि मण्डी बोर्ड	33
22 B	राज्य कृषि मण्डी बोर्ड की रचना	33-34
22 C	बोर्ड के सदस्यों के नामों का प्रकाशन	35
22 D	चुनाव की वैधता तय करना	35
22 E	बोर्ड के निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्ति	35

22 F	बोर्ड के सदस्यों की पद धारण की अवधि	35
22 FF	प्रथम बोर्ड सरकार द्वारा नामजद (नियुक्त) होगा	5
22FFF	द्वितीय बोर्ड राज्य सरकार द्वारा नामजद नियुक्त होगा	35
22 FFFF	राज्य सरकार द्वारा तृतीय बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाना	36
22 G	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य	37
22 H	मण्डी विकास निधि	37
22 HA	बोर्ड की उधार लेने की शक्ति	37
22 I	धन राशियाँ मण्डी विकास निधि में जमा करनी और बचत का लाभार्थ जमा करवाना (investment)	38
22 J	मण्डी विकास निधि किन-किन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जावेगी	38
22 K	बोर्ड के कार्य (functions)	39
22 L	मामले जिनके लिए बोर्ड उपनियम बना सकेगा	39
22 M	अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान बोर्ड पर लागू होंगे	40
अध्याय 4 - बी		
संविदा खेती		
22 N	संविदा खेती	40
	अध्याय 5	41
	विविध	42
23	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाये जाने का दायित्व	42
24	हानि या दुरूपयोग के लिए सदस्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी	42
25	समिति के अधिकारियों और सदस्यों का सूचना देने का कर्त्तव्य	42
26	उपस्थिति आदि बाध्य करने की शक्ति	42
27	मण्डी समिति का अतिक्रमण करना	43
27 A	प्रशासक की नियुक्ति	44
27 B	प्रवेश तथा तलाशी की शक्ति	45
28	कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दण्ड	46
29	धारा 22 का उल्लंघन करने पद दण्ड	47
30	धारा 25 का उल्लंघन करने पर दण्ड	47
31	नोटिस के अभाव में दावा करने पर प्रतिबन्ध	47

32	अपराधों की सुनवाई	48
32 A	अपराधों के लिये राजीनामे	48
33	वसूल शुदा जुर्माना मण्डी समिति निधि में जमा कराना	48
34	सरकार या मण्डी समिति को देय राशि की वसूली	49
34 A	राज्य सरकार द्वारा निर्देशन	49
35	शक्तियों का समर्पण (Delegation of Powers)	49-53
36	नियम	53
37	उपनियम (उप-विधियां)	54
38	उप-नियम (विधियाँ) बनाने की निदेशक की शक्ति	54
39	मण्डी समिति से कार्यवाहियां मंगवा कर उन पर आदेश देने की निदेशक की शक्ति	54
40	अनुसूची को संशोधन करने का सरकार को अधिकार	54
40-क	मण्डी फीस से छूट प्रदान करने की शक्ति:	54
41	व्यावृत्तियां (Savings)	54
42	कठिनाइयों को मिटाने की शक्ति	55
	अनुसूची	56-57

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961

(सन् 1961 का अधिनियम क्रमांक 38)

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार - (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है।

टिप्पणी:- कतिपय सरकारी अधिसूचनाओं में इस अधिनियम का नाम "राजस्थान कृषि उपज मण्डी विपणि अधिनियम, 1961" उल्लिखित है। यह अधिनियम राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4-क दिनांक 24.11.1961 को प्रकाशित हुआ।

2. परिभाषाएँ - (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(1) कृषि उपज - में समस्त उपज सम्मिलित हैं, जो चाहे कृषि, बागवानी, पशुपालन हो या अन्यथा, जैसी कि अनुसूची में बताई गई हैं,

(2) कृषक - से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो साधारणत: स्वयं या अपने कृषकों (टेनेन्ट्स) द्वारा या किराये के श्रमिक द्वारा या अन्यथा, कृषि पैदा करने या विस्तार करने में संलग्न हो, परन्तु उसमें कृषि उपज का व्यापारी या दलाल, सम्मिलित नहीं है, यधपि ऐसा व्यापारी या दलाल कृषि उपज पैदा करने या उसके विस्तार करने का कार्य भी करता हो;

(2a) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 22क के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से है,

(3) "दलाल"' (ब्रोकर) से तात्पर्य ऐसे एजेन्ट से है जिसका साधारण व्यापारिक तरीका कृषि उपज के क्रय या विक्रय के लिये कमीशन मिलने पर सौदे करके क्रय विक्रय अनुबन्धित करे परन्तु उसका कर्मचारी सम्मिलित नहीं है चाहे वह सौदा करने या ऐसे अनुबन्ध करने का कार्य करता हो,

(4) "उपनियमों" से तात्पर्य धारा 37 या 38 के अधीन बनाये गये उपनियमों से है,

(4क) "संविदा खेती" से इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रभाव के संविदा खेती करार के अधीन खेती अभिप्रेत है कि उसकी कृषि उपज का क्रय, करार में जैसा विनिर्दिष्ट है उसके अनुसार किया जायेगा;

(4ख) "संविदा खेती करार" से संविदा खेती क्रेता और संविदा खेती उत्पादक के बीच संविदा खेती के लिए किया गया करार अभिप्रेत है;

(4ग) "संविदा खेती क्रेता" से संविदा कृषि करार के अधीन पैदा कृषि उपज का क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(4घ) "संविदा खेती उत्पादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी भूमि पर ऐसे करार में विनिर्दिष्ट उपज की खेती करने के लिए संविदा खेती करार करता है;

(5) निदेशक (डाइरेक्टर) से तात्पर्य राजस्थान राज्य के कृषि विपणन निदेशक से है,

(5क) "निर्यात" से, कृषि उपज का भारत के बाहर प्रेषण अभिप्रेत है;

(6) "निधि" से तात्पर्य धारा 18 में बताई गई मण्डी समिति निधि (फण्ड) से है,

(7) "मण्डी" से तात्पर्य किसी मण्डी क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्थापित नियमित मण्डी (मार्केट) से है और उसमें खास मण्डी तथा मुख्य या वार्ड उपमण्डी (गौणमण्डी) यार्ड भी सम्मिलित है,

(8) "मण्डी क्षेत्र" के तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा 4 के अधीन मण्डी क्षेत्र होना घोषित हुआ हो,

(9) "मण्डी समिति" से तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित मण्डी समिति से है;

(10) "साख मण्डी" से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जिसमें उस पर स्थित भवन सम्मिलित है जो मुख्य मण्डी यार्ड अथवा उप मण्डी यार्ड से ऐसी दूरी के भीतर हो जो कि राज्य सरकार खास मण्डी होना घोषित करे,

(11) "व्यक्ति" में सहकारी संस्था, फर्म अविभाजित परिवार अथवा कोई संगठन (body individuals) जो निगमित (incorporated) हो अथवा नहीं, सम्मिलित है,

(12) "मुख्य मण्डी यार्ड" (Principal Market Yard) से तात्पर्य कोई अहाते व भवन या स्थान से है जो धारा 5 के अधीन मुख्य मण्डी यार्ड होना घोषित किया गया हो,

(13) "खुदरा विक्रय" किसी कृषि उपज के बेचान से है जिसकी मात्रा धारा 37 या धारा 38 के अधीन बनाये गये उपनियमों में उक्त कृषि उपज के सम्बन्ध से खुदरा विक्रय होना निश्चित किया जाये,

(13क) "प्रसंस्करण" से चूर्णकृर्त करने, पीसने, छिलाई करने, भूसी उतारने, उबालने, पालिश करने, ओटाने, दबाने, संसाधित करने से संबंधित अभिक्रिया या किसी भी अन्य शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया जो कच्ची कृषि उपज या उसके उत्पाद के लिए की जाती है, की कोई एक या अधिक आवलियां अभिप्रेत हैं और अभिव्यक्ति "प्रसंस्करणकर्ता" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(14) "नियमों" से तात्पर्य धारा 36 के अधीन बनाये गये नियमों से हैं;

(15) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;

(16) "उप-मण्डी यार्ड" से तात्पर्य किसी अहाते, भवन, या स्थान (locality) से है जो धारा 5 के अधीन उपमण्डी (गौण मण्डी) यार्ड होना घोषित किया जाये,

(17) "सर्वेक्षक" (Surveyor) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका कार्य किसी कृषि उपज के बेचान के माल की उत्तमता (Quality) वक्रता (refraction) मिलावट या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने का हो,

(18) "व्यापार" से तात्पर्य किसी कृषि उपज के क्रय या विक्रय के सौदे से है,

(19) "व्यापारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो अपने स्वयं के लिए कृषि उपज की खरीद और बेचान का धन्धा करता हो, परन्तु इसमें दलाल सम्मिलित नहीं है,

(20) "तौलने वाले" (weighman) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी कृषि उपज विक्रय के माल को तौलने का कार्य करता हो,

(21) यदि कोई प्रश्न उठे कि आया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कृषक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न पर निदेशक (Director) का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय - 2

मण्डियों का गठन

3. विशिष्ट क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय और विक्रय पर नियंत्रण लागू करने के इरादे की अधिसूचना - (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में बताये गये क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय पर नियमन लागू करने का इरादा है।

परन्तु उक्त अधिसूचना के किसी नगरपालिका की सीमा में स्थित किसी क्षेत्र को तभी सम्मिलित करेगी जबकि सम्बन्धित म्यूनिसिपल बोर्ड या सम्बन्धित नगर परिषद् की राय पहले प्राप्त करली हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में बताया जायेगा कि कम से कम एक माह की अवधि के भीतर, जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट होगी, राज्य सरकार को प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

4. मण्डी क्षेत्र की घोषणा - (1) धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् और ऐसी कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 3 के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्हीं भी किस्मों की कृषि उपज के सम्बन्ध में मण्डी क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र से अपवर्जित कर सकेगी या किसी अन्य क्षेत्र को किसी भी मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी।

5. मण्डी का यार्डों में विभाजन - (1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में -

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रबंधित एक प्रधान मण्डी यार्ड हो सकेगा;

(ख) मण्डी समिति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक उप-मण्डी यार्ड हो सकेंगे;

(ग) मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड हो सकेंगे;

(घ) किसी मण्डी समिति द्वारा या मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक उपभोक्ता किसान मण्डी हो सकेंगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मण्डी क्षेत्र में किसी भी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसमें कोई भी संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है, मण्डी यार्ड या, यथास्थिति, उप-मण्डी यार्ड घोषित कर सकेगी।

5 क. प्राइवेट उप-मण्डी यार्डों की स्थापना - निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी किसी मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा -

(क) कृषि उपज का प्रसंस्करण;

(ख) कृषि उपज का निर्यात;

(ग) विनिर्देश विशेष की क़षि उपज का व्यापार; और

(घ) कृषि उपज के मूल्य परिवर्धन द्वारा श्रेणीकरण, पैक करना और अन्य प्रकार से संव्यवहार।

5 ख. प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना - (1) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मण्डी क्षेत्र में यथा-विहित विकासशील अवसंरचना द्वारा प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना की जा सकेगी। ऐसे स्थान पर, कृषि उपज का उत्पादक स्वयं अपनी उपज का विहित रीति से उपभोक्ता को सीधे ही विक्रय कर सकेगा :

परन्तु उपभोक्ता, उपभोक्ता कृषक मण्डी में एक समय में वस्तु की इतनी मात्रा से अधिक का क्रय नहीं करेगा जितनी विहित की जाए।

(2) विक्रेता से कृषि उपज के विक्रय पर कृषि उपज की कीमत के आधे प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से मण्डी सेवा प्रभार संगृहीत किये जायेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये और उपभोक्ता कृषक मण्डी के स्वत्वधारी को संदत्त किये जायेंगे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा यथा - उपबन्धित के सिवाय, उपभोक्ता कृषक मण्डी में किये गये संव्यवहारों पर कोई मण्डी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

5 ग. प्राइवेट उप-मण्डी यार्डों या उपभोक्ता कृषक मण्डियों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी, नवीकरण या रद्दकरण - (1) कोई भी व्यक्ति निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी को धारा 5 क के अधीन प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड या धारा 5 ख के अधीन उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना करने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या इस धारा के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के

लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से आवेदन कर सकेगा जो विहित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन के साथ ऐसी अनुज्ञप्ति फीस संलग्न की जायेगी जो विहित की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन को निदेशक या, यथास्थिति, उप-धारा (1) के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित में अभिलिखित कारणों से स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगा;

परन्तु इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति वहाँ मंजूर या, यथास्थिति, नवीकृत नहीं की जायेगी, जहाँ -

(i) मण्डी समिति के शोध्य आवेदक के विरूद्ध बकाया हैं;

(ii) आवेदक अवयस्क है या सद्धवी नहीं है;

(iii) आवेदक को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है; और

(iv) आवेदक को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हैा

(4) इस धारा के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई सभी अनुज्ञप्तियाँ ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होंगी जो विहित की जायें और अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(5) निदेशक ऐसी जाँच के पश्चात् जो वह करना ठीक समझे, और अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस धारा के अधीन मंजूर या नवीकृत किसी भी अनुज्ञप्ति को, लिखित में अभिलिखित कारणों से रद्द कर सकेगा।

अध्याय - 3

मण्डी समितियाँ

6. मण्डी क्षेत्रों का वर्गीकरण और मण्डी समितियों का स्थापना - राज्य सरकार, मण्डी क्षेत्रों को ऐसे मानदण्डों के आधार पर, जो विहित किये जायें, (विशिष्ट) उत्कृष्ट वर्ग क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग और घ वर्ग मण्डी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिए एक मण्डी समिति की स्थापना करेगी।

7. मण्डी समितियों का गठन - (1) (क) प्रत्येक उत्कृष्ट वर्ग और क वर्ग मण्डी समिति विहित रीति से गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित सत्रह सदस्य होंगे, अर्थात् -

(i) आठ कृषक होंगे जो मण्डी क्षेत्र के ऐसे कृषकों या संस्थाओं द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किये गये हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें;

(ii) दो व्यापारी या दलाल होंगे जो मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्त व्यापारियों और दलालों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किये गये हों;

(iii) एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों और मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्त अन्य व्यक्तियों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया गया हो;

(iv) एक विधान सभा का ऐसा सदस्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाये;

(v) एक व्यक्ति ऐसे मण्डी क्षेत्र, जिसके लिए वह स्थापित की गयी है, में की सहकारी विपणन सोसाइटियों का प्रतिनिधि होगा, जैसा राज्य सरकार विहित करे;

(vi) एक व्यक्ति ऐसे मण्डी क्षेत्र, जिसके लिए वह स्थापित की गयी है, में केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेन्सी का प्रतिनिधि होगा जैसा राज्य सरकार विहित करे;

(vii) एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसे नगरपालिक बोर्ड या नगरपालिक परिषद या नगर निगम या ग्राम पंचायत, जिसमें मुख्य मण्डी यार्ड अवस्थित है, द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया गया हो;

(viii) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये गये हों।

(ख) प्रत्येक ख, ग और घ वर्ग की मण्डी समिति विहित रीति से गठित की जायेगी और उसमें निम्नलिखित दस सदस्य होंगे, अर्थात -

(i) छह कृषक होंगे जो मण्डी क्षेत्र के ऐसे कृषकों या संस्थाओं द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किये गये हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें;

(ii) एक व्यापारी या दलाल होगा जो मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्त व्यापारियों और दलालों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया गया हो;

(iii) एक व्यक्ति एकसे मण्डी क्षेत्र, जिसके लिए वह स्थापित की गयी है, में की सहकारी विपणन सोसाइटियों का प्रतिनिधि होगा, जैसा राज्य सरकार विहित करें;

(iv) एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे नगरपालिका बोर्ड या नगरपालिका परिषद् या नगर निगम या ग्राम पंचायत, जिसमें मुख्य मण्डी यार्ड अवस्थित है, द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया गया हो;

(v) एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो;

(vi) एक विधान सभा का ऐसा सदस्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो:

परन्तु जिस व्यक्ति को धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 14 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति दी गयी है, वह खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (v) या उपखण्ड (vi) या उपखण्ड (vii) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (iii) या उपखण्ड (iv) के अधीन मण्डी समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी भी समय, किसी भी मण्डी समिति में नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या कम कर सकेगी और उनके स्थान पर खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) के अधीन या, यथास्थिति, खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या बढा सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद -

(अ) किसी संगठन, व्यक्तियों या प्राधिकारी के उपधारा (1) के अधीन चुनाव करने में विफल हो जाने पर, राज्य सरकार ऐसे संगठन, व्यक्तियों या प्राधिकारी की तरह से किसी व्यक्ति को नियुक्त (Nominate) कर सकेगी, जो उक्त संगठन व्यक्तियों या प्राधिकारी द्वारा चुने जाने के लिये योग्यता रखता हो। यदि ऐसे संगठन, व्यक्तियों या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित संख्या में निर्वाचन करने में विफल होने के कारण जांच करते समय समस्त नामांकन पत्रों का खारिज किया जाना हो तो उक्त संगठन, व्यक्तिगण या प्राधिकारी नया चुनाव करेंगे परन्तु वही दशा फिर से घटित हो जाने की दशा में राज्य सरकार उपरोक्त तरीके से नियुक्त करेगी।

(ब) जब कि कोई मण्डी समिति प्रथम बार गठित की जाती हो तो मण्डी समिति के समस्त सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(3) मण्डी समिति के प्रथम गठन में नियुक्त प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति की प्रथम आम सभा की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य जो निर्वाचित या नियुक्त हो (पांच वर्ष) की अवधि तक पद धारण करेगा।

"परन्तु यह है कि, उपधारा (2) (ख) के अन्तर्गत एक समिति गठित किये जाने के मामले में, राज्य सरकार इस हेतु सक्षम हो कि ऐसी समिति के समस्त सदस्यों की कार्यकाल अवधि किसी भी समय समाप्त करके तथा धारा 27 के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त कर दे।"

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी समिति के सदस्यों के पद धारण की अवधि या अवधियां जैसा वह उचित समझे, समय-समय पर बढा सकेगी जो कुल मिला कर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यदि भंग होने वाली मण्डी समिति के सदस्यों की पद धारण की अवधि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के लागू होने के पहले समाप्त हो गई हो, तो वह (अवधि) बढी हुई समझी जायेगी जो उसके स्थान पर गठित मण्डी समिति की प्रथम आम सभा की तारीख से एक दिन पहले की समाप्ति तक रहेगी अथवा कथित अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष तक बढी हुई रहेगी, इनमें से जो भी पहले हो।

"परन्तु आगे यह है कि जहां एक विपणन समिति के सदस्यों की कार्यकाल अवधि में इस उपधारा के अन्तर्गत वृद्धि की गई है, तो राज्य सरकार इस हेतु सक्षम होगी कि इस प्रकार बढाई गई अवधि किसी भी समय समाप्त कर दे।"

(5) (xxx)

(6) यदि किसी समय किसी निर्वाचित या नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद अस्वीकार करने के कारण या उसकी मृत्यु, या अयोग्य हो जाने से त्याग पत्र देने के फलस्वरूप कोई स्थान रिक्त हो जाये या उसके पदधारण की अवधि से पूर्व उपधारा (5) के अधीन उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने की दशा में रिक्त स्थानों की पूर्ति चुनाव या नियुक्ति यथा स्थिति, निर्धारित रीति से की जायेगी।

(7) उप-धारा (6) के अधीन निर्वाचित या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति केवल उस समय तक के लिये पद धारण करेगा जिस अवधि तक यदि स्थान रिक्त नहीं होता, तो वह व्यक्ति जिसके बदले में वह सदस्य बना है पद धारण करता।

(8) प्रत्येक मण्डी समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना अध्यक्ष और किसी दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी :

परन्तु अध्यक्ष धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) या, यथास्थिति, खण्ड (ख) के उप-खण्ड (1) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से होगा; और

(9) मण्डी समिति का या उसकी किसी उप समिति का या किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव (सैक्रेटरी) का कोई भी कार्य केवल इस प्रकार से अवैध नहीं समझा जायेगा कि उक्त मण्डी समिति का गठन या किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी अथवा वे या उनमे से कोई ऐसे पद के लिये (disqualified) था अथवा इस आधार पर कि मण्डी समिति या उप समिति की बैठक बुलाने के इरादे से जारी की गई औपचारिक सूचना सही तौर से नहीं दी गई थी अथवा ऐसा कार्य उक्त समिति या उप समिति के अध्यक्ष, उपध्यक्ष, सचिव या सदस्य का स्थान रिक्त होने की अवधि में किया गया अथवा मामले के तथ्य गुणों (Merits of the case) को प्रभावित नहीं करने वाली कोई खामी के कारण से थी और।

(10) मण्डी समिति का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले मण्डी समिति की किसी बैठक में निम्नलिखित प्रपत्र में शपथ या प्रतिज्ञा (affirmation) करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

"मैं..... (मण्डी समिति का नाम)..... का सदस्य बन जाने पर ईश्वर की सौगन्ध से/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बिना किसी भय या पक्षपात के मंडी समिति के सदस्य के कर्त्तवयों का निर्भयता और निष्पक्षता से पालन करूंगा।

(11) (अ) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध कोई भी सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष पेश कर सकेगा और उक्त नोटिस की पुष्टि कुल मण्डी समिति से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा आवश्यक होगी और उक्त प्राधिकारी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने हेतू मण्डी समिति की बैठक तीस दिन के भीतर बुलाएगा और उस बैठक का सभापतित्व करेगा।

(ब) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध ऐसा प्रस्ताव मण्डी समिति के कम से कम दो तिहाई उपस्थित सदस्यों के तथा कुल सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत से पारित हो जावे तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त पद की हैसियत से कार्य करना बन्द कर देगा और प्रस्ताव पारित होने की तारीख को अपना पद रिक्त कर देगा। इस विषय का नोटिस उक्त प्राधिकारी मण्डी समिति कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगावेगा।

(स) यदि उपर लिखेनुसार प्रस्ताव पारित न हो या उपस्थिति का कोरम नहीं होने से बैठक नहीं हो सकी हो तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध उक्त बैठक की तिथि से 6 महीने बीत जाने से पहले अविश्वास प्रकट करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

(12) मण्डी समिति की बैठक तथा उसका कोरम और उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित तरीके से नियमित की जायेगी।

(13) मण्डी समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात् प्राकृतिक विपत्ति या विधि-व्यवस्था के भंग के सिवाय किसी कारण से रोकी या निलम्बित नहीं की जायेगी।

7 क. स्थानों का आरक्षण - (1) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों का एक-एक स्थान क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(1क) उप-धारा (1) के लिए अधीन स्थानों की कुल संख्या में से 50% अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या, यथास्थिति, पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(1ख) धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) और खण्ड (ख) के उप-खण्ड (1) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों के कुल स्थानों में से 50% (जिसमें उप-धारा (1क) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन आरक्षित स्थान संबंधित मण्डी क्षेत्र के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किया जायेगा।

7 ख. अध्यक्ष के पदों का आरक्षण - (1) राज्य में मण्डी समितियों के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या में से 16% 12% और 21% क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडा वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या में से (50%) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या, यथास्थिति, पिछडा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(3) राज्य में मण्डी समितियों के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या में से (50%) (जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडा वर्गों की महिलाओं के

लिए आरक्षित पदों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन आरक्षित पद राज्य में विभिन्न मण्डी समितियों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे।

7 ग. आरक्षित स्थानों का अवधारण - धारा 7-ख के अधीन अध्यक्ष के पदों के लिए स्थानों का आरक्षण धारा 7-क के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गों और महिलाओं के आरक्षण के पूर्व किया जायेगा।

8. मण्डी समिति का निगमन (incorporation) - प्रत्येक मण्डी समिति एक ऐसे नाम से निगमित (body corporate) होगी। जैसी कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार घोषित करे। उसका उत्तराधिकार निरन्तर रहेगा और उसकी एक सम्मिलित मुहर (common seal) होगी, वह अपने निगमित नाम से दावा कर सकेगी और उसी निगमित नाम से उसके विरूद्ध दावा किया जा सकेगा और वह किसी सम्पत्ति को प्राप्त कर सकेगी, धारण का सकेगी व लीज पर या बेचान द्वारा या अन्यथा उसे हस्तान्तरित कर सकेगी और जिन प्रयोजनों के लिए उसकी स्थापना हुई उनकी पूर्ति हेतु संविद् (contract) या अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगी।

9. मण्डी समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए मण्डी समिति का निम्नलिखित कर्तव्य होगा -

(i) मण्डी क्षेत्र में, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों का उप-विधियों को कार्यान्वित करना;

(ii) उसमें कृषि उपज के विपणन के लिए ऐसी सुविधाएँ उपबंधित करना जिनका निदेशक या राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे;

(iii) ऐसे अन्य कार्य करना जो, मण्डी के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में या मण्डी क्षेत्र में किसी भी स्थान में कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के लिए और उपर्युक्त मामलों से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, और उस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबंधित किये जायें; और

(iv) ऐसी अन्य बातें करना जो इस अधिनियम, तदधीन बनाये गय नियमों और उप-विधियों के उद्देश्यों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और मण्डी समिति के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित हो सकते हों।

(2) पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डी समिति -

(i) मण्डी क्षेत्र के भीतर प्रधान यार्ड और उप-मण्डी यार्डों का अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगी,

(ii) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी यार्ड के भीतर और प्रधान मण्डी यार्ड के बाहर और उप-मण्डी यार्डों के भीतर और उप-मण्डी यार्डों के बाहर कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपबंध कर सकेगी;

(iii) मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों और अन्य व्यक्तियों को काम करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगी या जारी करने से इनकार कर सकेगी और ऐसी अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलंबित या रद्द कर सकेगी, मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों और अन्य व्यक्तियों के आचरण का पर्यवेक्षण कर सकेगी और अनुज्ञप्ति की शर्तों को प्रवर्तित कर सकेगी;

(iv) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या मण्डी समितियों की उप-विधियों के अधीन अधिकथित उपबन्ध और प्रक्रिया के अनुसार कृषि उपज के नीलाम का विनियमन और पर्यवेक्षण कर सकेगी;

(v) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या मण्डी समितियों की उप-विधियों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कृषि उपज नीलाम का संचालन और पर्यवेक्षण कर सकेगी;

(vi) विक्रय, तौल, परिदान, संदाय के करार की रचना निष्पादन और प्रवर्तन या रदद्करण और कृषि उपज मण्डी से सम्बन्धित समस्त अन्य मामलों का विहित रीति से विनियमन कर सकेगी;

(vii) विक्रेता और क्रेता के बीच कृषि उपज के विपणन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के संव्यवहार से उदभूत होने वाले समस्त विवादों और उनसे आनुषंगिक सभी विषयों के निपटारे के लिए उपबन्ध कर सकेगी;

(viii) कृषि उपज में अपमिश्रण रोकने के लिए सभी सम्भव कदम उठा सकेगी;

(ix) कृषि उपज के श्रेणीकरण और मानकीकरण के लिए उपबन्ध कर सकेगी;

(x) मण्डी यार्ड में किये गये संव्यवहारों के सम्बन्ध में माल की तुलाई और परिवहन के लिए तुलाईकारों और हम्मालों को चक्रानुक्रम से नियोजित करने के लिए इंतजाम कर सकेगी;

(xi) अपने क्षेत्र में विस्तारी क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन के सम्बन्ध में जानकारी का संग्रहण, रख-रखाव और प्रसार को कार्यान्वित करने के लिए कृषि विपणन विस्तार इकाई की स्थापना में लोक भागीदारी स्थापित और प्रोन्नत कर सकेगी;

(xii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-नियत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे क्रय और विक्रय रोकने के लिए अध्युपाय कर सकेगी;

(xiii) ऐसी रेटें, प्रभार, फीस और अन्य धनराशियाँ उदगृहीत, वसूल और प्राप्त कर सकेगी जिनके लिए मण्डी समिति हकदार है;

(xiv) इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारी और सेवक नियोजित कर सकेगी;

(xv) मण्डी समिति में निहित प्रधान मण्डी यार्ड और उप-मण्डी यार्डों में व्यक्तियों और यानों, यातायात के प्रवेश का विनियमन कर सकेगी;

(xvi) इस अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के उपबन्धों के अतिक्रमण के लिए व्यक्तियों को अभियोजित कर सकेगी और ऐसे अपराधों का शमन कर सकेगी;

(xvii) अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन के प्रयोजन के लिए भूमि या किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का आवंटन/व्ययन कर सकेगी;

(xviii) कोई भी वाद, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम् संस्थित कर सकेगी या उसका प्रतिवाद कर सकेगी और ऐसे वाद, कार्यवाही, आवेदन या माध्यमस्थम् में समझौता कर सकेगी;

(xix) मण्डी समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों के छुट्टी भत्ते, पेंशन या भविष्य निधि के पेटे वेतन, पेंशन, भत्तों, उपदानों अंशदान का विहित रीति से संदाय कर सकेगी;

(xx) मण्डी समिति निधि का प्रशासन और उसके लेखाओं का संधारण विहित रीति से कर सकेगी;

(xxi) प्रत्येक प्रधान मण्डी यार्ड और उप-मण्डी यार्ड में मानक बाटों और मापकों का एक ऐसा सेट रख सकेगी जिससे तौल और मापों की जाँच की जा सके;

(xxii) मण्डी क्षेत्र में उपयोग में आने वाले पैमानों, बाटों और मापकों तथा मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडारपालों और अन्य व्यक्तियों द्वारा संधारित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का भी ऐसी रीति से निरीक्षण और सत्यापन कर सकेगी जो विहित की जाये;

(xxiii) विनियमन, संव्यवहार पद्धति, मण्डी क्षेत्र में उपबंधित सुविधाओं इत्यादि के फायदों के बारे में, पोस्टरों, पुस्तिकाओं, विज्ञापन पट्टों, सिनेमा स्लाइडों, फिल्म प्रदर्शनों, समूह बैठकों इत्यादि, जैसे साधनों के माध्यम से या अधिक प्रभावी या आवश्यक समझे गये किन्हीं भी अन्य साधनों के माध्यम से प्रचार कर सकेगी;

(xxiv) ऐसे संव्यवहारों के सम्बन्ध में, जो मण्डी यार्ड या मण्डी क्षेत्र में किये गये हैं, संदाय विक्रेता को उसी दिन किया जाना और व्यतिक्रम में प्रश्नगत कृषि उपज साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसके पुन:विक्रय की व्यवस्था और हानि की दशा में, हानियों के प्रभारों, यदि कोई हों, की वसूली के प्रभारों सहित उसकी मूल क्रेता से वसूली करना और कृषि उपज की कीमत का विक्रेता को संदाय करना सुनिश्चित कर सकेगी;

(xxv) तुलाईकारों और हम्मालों के सम्बन्ध में प्रभारों की वसूली, और उनका तुलाईकारों और हम्मालों को वितरण कर सकेगी यदि क्रेता या यथास्थिति, विक्रेता द्वारा उनका संदाय नहीं किया जाता है;

(xxvi) मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले उत्पादकों, विक्रेताओं और व्यापारियों के फायदों के लिए कृषि उपज के मण्डी में संचलन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, मण्डी क्षेत्र में सडकों के निर्माण का जिम्मा ले सकेगी;

(xxvii) कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन के सम्बन्ध में जानकारी संगृहीत और संधारित कर सकेगी और ऐसी जानकारी का प्रसार कर सकेगी, जैसा निदेशक द्वारा निदिष्ट किया जाये; और

(xxviii) मण्डी में स्थिरता बनाये रखने की दृष्टि से –

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारी उनकी क्षमता से अधिक कृषि उपज का क्रय नहीं करें और उपज के व्ययन में विक्रेताओं को जोखिम से बचाने के लिए यथोचित अध्युपाय कर सकेगी; और

(ख) क्रेताओं की क्षमता के अनुसार आवश्यक नकद प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी।

(3) निदेशक की पूर्व मंजूरी से, मण्डी समिति अपने विवेक से कृषि उपज के परिवहन और भण्डारण को सुकर बनाने के लिए या मण्डी यार्ड के विकास के प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र में सडकों या गोदामों के निर्माण के लिए बोर्ड, लोक निर्माण विभाग या किसी भी अन्य विभाग या लोक उपक्रम या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को अनुदान या अग्रिम निधियॉ प्रदान करने का जिम्मा ले सकेगी।

(4) उपर उल्लिखित कर्तव्यों के अतिरिक्त मण्डी समिति निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगी –

(क) अपने अधिकारियों द्वारा समस्त प्राप्तियों और संदायों पर समुचित नियन्त्रण रखना;

(ख) मण्डी समिति निधि से प्रभार्य समस्त संकर्मों का समुचित निष्पादन; और

(ग) इस अधिनियम की और तदधीन जारी किये गये नियमों और अधिसूचनाओं की ओर अपनी उप-विधियों की प्रति अपने कार्यालय में नि:शुल्क निरीक्षण के लिए रखना।

10. उप समितियां तथा संयुक्त समितियां नियुक्त करना – किसी कार्य का संचालन करने हेतु या किसी मामले या मामलों पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करने के लिए मण्डी समिति अपने एक या अधिक सदस्यों की उप-समिति या संयुक्त समिति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति को या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी या कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह उपयुक्त समझे।

11. मण्डी समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके वेतन – (1) मण्डी की व्यवस्था के लिए मण्डी समिति निर्धारित रीति से आवश्यकतानुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियोजित कर सकेगी और मण्डी समिति जो उपयुक्त समझे उतना वेतन उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दे सकेगी।

(2) किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, जिसको मण्डी समिति नियुक्त करे, ऐसा पेन्शन, अंशदान ग्रेच्यूटी, अथवा अवकाश भता, मण्डी समिति भुगतान

करेगी जो कि तत्समय लागू राज्य सरकार के अधीन उसकी सेवा की शर्तों द्वारा अपेक्षित हो।

(3) मण्डी समिति भी अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में जैसा भी वह उपयुक्त समझे, अवकाश भत्ते, पेन्शन या ग्रेच्यूटी भुगतान के लिए प्रावधान कर सकेगी और उक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित प्रोविडेन्ट फण्ड में अंशदान कर सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन मण्डी समिति को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग ऐसे नियमों के अधीनस्थ रहेगा जो कि राज्य सरकार इस प्रयोग के लिये बनावे।

11.ए. कर्मचारी वर्ग में कमी करने या अनियमित नियुक्तियों को समाप्त करने का निदेशन - (1) यदि किसी समय, निदेशक को ऐसा प्रतीत हो कि किसी मण्डी समिति में नियोजित व्यक्तियों की संख्या उसकी आवश्यकताओं से अधिक है अथवा मण्डी समिति ने अनियमित नियुक्ति की है, तो निदेशक ऐसे कर्मचारियों की संख्या में कमी करने या अनियमित नियुक्ति को समाप्त करने के आदेश दे सकेगा और निदेशक के ऐसे निदेशन पर मण्डी समिति ऐसे कर्मचारी वर्ग में कटौती करेगा या अनियमित नियुक्ति को समाप्त करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन मण्डी समिति को जारी किये गये निदेशन की पालना प्रत्येक मामले में निदेशक द्वारा दी गई अवधि में की जायेगी जो कि किसी भी मामले में एक माह से कम नहीं होगी और अनुपालना नहीं करने की दशा में सेक्रेटरी संबंधित कर्मचारी को एक माह का नोटिस देने के पश्चात् उक्त कर्मचारी का वेतन और भत्तों का भुगतान करना बन्द कर देगा और उसकी सेवायें समाप्त कर देगा।

(3) मण्डी समिति के किसी आदेश अथवा सेक्रेटरी द्वारा सेवायें समाप्त करने के नोटिस से पीडित व्यक्ति ऐसे आदेश अथवा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा और राज्य सरकार द्वारा अपील में दिया गया आदेश अन्तिम होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

11.बी. मण्डी समिति के सेक्रेटरी की नियुक्ति - (1) प्रत्येक मण्डी समिति के लिए एक सेक्रेटरी (सचिव) की नियुक्ति की जायेगी जो मण्डी समिति का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का

पालन करेगा जो इस अधिनियम में या नियमों में या उप-नियमों (उप-विधियों) में उल्लेखित हों।

(2) सेक्रेटरी ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार में पूरे समय के लिए नियोजित (in the full time employment) होगा और वह राज्स्थान सेवा नियमों के अधीनस्थ रहेगा और वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करेगा।

12. सदस्यगण, अधिकारीगण आदि सार्वजनिक कर्मचारी समझे जायेंगे - प्रत्येक मण्डी समिति के तथा धारा 10 के अधीन नियुक्त उसकी उप-समितियों और संयुक्त समितियों के समस्त सदस्यगण, अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड शास्त्र (Indian Penal Code 1860) (सन् 1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के तात्पर्य से सार्वजनिक कर्मचारी (लोक सेवक) समझे जाएंगे।

13. संविदाओं का निष्पादन - (1) मण्डी समिति द्वारा की गई तमाम संविदायें लिखित में होगी और मण्डी समिति की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा तथा समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत समिति के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(2) कोई भी संविदा (Contract) जो कि उप-धारा (1) के प्रावधानुसार निष्पादित की हुई न हो वह मण्डी समिति पर बाध्य नहीं होगी।

14. मण्डी समिति की अनुज्ञप्ति जारी करने की शक्ति - (1) जहॉ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई मण्डी स्थापित की जाये वहाँ मण्डी समिति, विहित फीस का संदाय करने पर, नियमों और उप-विधियों के अनुसार व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों, या अन्य व्यक्तियों को मण्डी क्षेत्र में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी और नवीकृत कर सकेगी।

(2) मण्डी समिति निम्नलिखित के लिए भी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी -

(क) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कृषकों से सीधे क्रय के लिए अर्थात् -

(i) प्रसंस्करणकर्त्ताओं केा प्रसंस्करण के लिए;

(ii) निर्यातकों को कृषि उपज के निर्यात के लिए;

(iii) विनिर्देश विशेष की कृषि उपज के व्यापार के लिए; और

(iv) कृषि उपज के मूल्रू परिवर्धन द्वारा श्रेणीकरण, पैक करना और अन्य प्रकार से संव्यवहार -

"परन्तु कोई भी विक्रय या क्रय इस खण्ड के अधीन, उपखण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, मुख्य मण्डी के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा;"

14क. एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये अनुज्ञप्ति - (1) निदेशक, व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं को विहित फीस के संदाय पर एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में काम करने के लिये नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।

(2) निदेशक, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति जारी करने से इंकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गयी समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अध्यधीन की गई।

14ख. धारा 14क के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों का निलंबन या रद्करण - (1) निदेशक, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो वह करना ठीक समझे और अनुज्ञप्तिधारी को विहित रीति से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् धारा 14-क के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निलंबित या रद् कर सकेगा, अर्थात -

(क) यह पाया जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने उसकी अनुज्ञप्ति के किन्हीं भी निबन्धनों या शर्तों को भंग किया है; या

(ख) यह पाया जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है, या

(ग) यह कि अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम य तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) किसी अन्य विहित आधार पर।

(2) जब कोई अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द कर दी गयी हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अनुज्ञप्ति को विहित रीति से पृष्ठांकन किये जाने के लिये तुरन्त निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और वह ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण किसी भी मुआवजे कि लिये या सम्पूर्ण अनुज्ञप्ति फीस या उसके किसी भाग या किसी भी अन्य धनराशि के प्रतिदाय के लिये दावा करने का हकदार नहीं होगा।

15. धारा 14 के अधीन प्रदत्त लाइसेन्सों का स्थगन करना या खारिज करना - (1) धारा 14 के अधीन लाइसेन्सों को जारी करने या नवीनीकरण करने वाली मण्डी समिति, उपयुक्त जांच करने के पश्चात् लाइसेन्सधारी को सुनवाई का समुचित अवसर निर्धारित तरीके से देने के पश्चात् निम्नलिखित कारणों के आधार पर लाइसेन्स स्थगित कर सकेगी या खारिज कर सकेगी :-

(अ) यह कि लाइसेन्स धारी ने लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन किया है, अथवा

(ब) यह कि उसने इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों या उप-नियमों (उप-विधियों) के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, अथवा

(स) यह कि वह इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या उप-नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध दोषी करार दिया गया है, अथवा

(द) किसी अन्य निर्धारित आधार पर (on any other prescribed ground)

(2) जब कोई लाइसेन्स स्थगित या खारिज कर दिया गया हो तो उस लाइसेन्स का धारण करने वाला उक्त लाइसेन्स तुरन्त मण्डी समिति के कार्यालय में, निर्धारित तरीके से पृष्ठांकन दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत करेगा और ऐसे स्थगन या निरस्त्रीकरण के कारण कोई मुआवजा या लाइसेन्स फीस पूरी या आंशिक वापिस प्राप्त करने या और कोई रकमें पाने का हकदार नहीं होगा।

(3) मण्डी समिति का अध्यक्ष या सेक्रेटरी, लिखित कारणों पर क्रमश: चौदह तथा सात दिनों के लिए उप-धारा (1) में मण्डी समिति को स्थगन हेतु दिए गए आधारों पर कोई लाइसेन्स स्थगित कर सकेगा।

(4) निदेशक, लिखित कारणों पर, आदेश देकर, धारा 14 के अधीन प्रदत्त या नवीनीकरण किए हुए किसी लाइसेन्स को उपधारा (1) में उल्लेखित आधारों पर स्थगित या खारिज कर सकेगा;

परन्तु शर्त यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई, मण्डी समिति तथा जिस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित हो उसकी समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा

15 ए. मण्डी यार्डों से व्यक्तियों को हटाने की शक्ति – (1) मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सेक्रेटरी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी सदस्य, अधिकारी या किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति बिना समुचित लाइसेन्सों के कार्य करता पाया जावे या नीलामी, तुलाई या इनसे सम्बन्धित किसी मामले में प्रक्रिया संबंधी आदेशों की अवहेलना करता हो उसे रोक सकेगा और मुख्य मण्डी यार्ड या उप मण्डी (गौण मण्डी) यार्ड या यार्डों से बाहर निकाल सकेगा।

(2) ऐसा निष्कासन किसी अन्य दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका इस प्रकार से रोके जाने वाला व्यक्ति इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या उप-नियमों (उप-विधियों) के अधीन उत्तरादायी हो।

15. ख. कृषि उपज की मण्डी का विनियमन – (1) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय,

(क) कृषि उपज के विक्रय और क्रय के लिए मण्डी क्षेत्र में किसी भी स्थान का उपयोग नहीं करेगा; या

(ख) व्यापारी, दलाल, तुलाईकार, मापक, सर्वेक्षक, भांडागारपाल के रूप या अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में मण्डी क्षेत्र में काम नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात कृषि उपज के निम्नलिखित विक्रय या क्रय को लागू नहीं होगी :-

(क) जहां विक्रय स्वयं उत्पादक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके घरेलू उपभोग के लिए चार क्विंटल तक किया जाता है;

(ख) जो सिर पर रखकर विक्रय के लिए लायी जाती है;

(ग) छोटे व्यापारी द्वारा ऐसी मात्रा तक, जो उप-विधियों में विहित की जाये, किया गया क्रय या विक्रय;

(घ) प्राधिकृत उचित मूल्य के दुकानदार के द्वारा भारतीय खाद्य निगम, राज्य वस्तु व्यापार निगम या राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए, प्राधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी या संस्था से किये गये क्रय; और

(ङ) किसी सहकारी सोसाइटी को, ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिये गये अग्रिम को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए कृषि उपज का अन्तरण।

15 ग. कृषि उपज का विक्रय – (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, मुख्य मण्डी में विक्रय के लिए लायी गयी समस्त कृषि उपज, केवल प्रधान मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्डों या प्राइवेट मण्डी यार्डों में विक्रीत की जायेगी;

परन्तु संविदा खेती के अधीन पैदा कृषि उपज को, प्रधान मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या प्राइवेट मण्डी यार्ड में लाना आवश्यक नहीं होगा और वह संविदा खेती क्रेता को सीधे विक्रीत की जा सकेगी।

(2) ऐसी कृषि उपज, जो किसी व्यापारी द्वारा मण्डी क्षेत्र से बाहर से या मण्डी क्षेत्र में अन्य व्यापारी से क्रय की जाये, उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार मण्डी क्षेत्र में कहीं भी लायी या विक्रीत की जा सकेगी।

(3) मण्डी यार्ड में विक्रय के लिए लायी गयी कृषि उपज की कीमत निविदा बोली या खुली नीलाम द्वारा तय की जायेगी और विक्रेता से किसी भी प्रकार के किसी कारण से तय पायी गयी कीमत से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

15 घ. क्रय और विक्रय के निबंधन और प्रक्रिया – (1) दो व्यापारियों के बीच किसी संव्यवहार के मामले को छोडकर, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज क्रय करता है, विक्रेता के पक्ष में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, तीन प्रतियों में एक करार निष्पादित करेगा। करार की एक प्रति क्रेता द्वारा रखी जायेगी, एक प्रति विक्रेता को दी जायेगी और शेष प्रति मण्डी समिति के अभिलेख में रखी जायेगी।

(2) (क) प्रधान मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड में लायी गयी कृषि उपज की कीमत प्रधान मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या, यथास्थिति, प्राइवेट मण्डी यार्ड में विक्रेता को उसी दिन संदत्त की जायेगी। ऐसे यार्ड या यार्डों के बाहर से क्रय की गयी कृषि उपज का संदाय भी विक्रेता को उसी दिन किया जायेगा यदि वह व्यापारी नहीं है।

(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट संदाय नहीं करता है तो वह कृषि उपज की विक्रेता को संदेय कुल कीमत का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त रकम सहित क्रय की तारीख से पांच दिन के भीतर-भीतर संदाय करने का दायी होगा।

(ग) यदि क्रेता खण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट संदाय उक्त पांच दिन की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति किसी अन्य विधि के अधीन उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना छठे दिन रद्द की हुई समझी जायेगी और उसे ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक कोई भी अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी या इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्य कृत्यकारी के रूप में मण्डी में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(3) कृषि उपज का कोई भी थोक संव्यवहार किसी भी व्यापारी द्वारा ऐसी कृषि उपज के उत्पादक के साथ, प्रधान मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड में के और इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, सीधे नहीं किया जायेगा :

परन्तु संविदा खेती के अधीन पैदा कृषि उपज संविदा खेती क्रेता द्वारा कहीं पर भी सीधे क्रय की जा सकेगी।

(4) कमीशन अभिकर्ता ऐसे समस्त खर्चों को सम्मिलित करते हुए जो उपज के भण्डारण में और उसके द्वारा दी गयी अन्य सेवाओं पर उसके द्वारा उपगत किये जायें, अपना कमीशन केवल अपने मुख्य व्यापारी से ऐसी दरों से वसूल करेगा, जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) प्रत्येक कमीशन अभिकर्ता –

(क) अपने मालिक के माल को किसी प्रभार के बिना सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का दायी होगा; और

(ख) ज्योंही माल का विक्रय किया जाता है त्योंही उसकी कीमत, इस बात को विचार में लाये बिना कि उसे ऐसे माल की क्रेता से कीमत प्राप्त हुई है या नहीं, मालिक को संदत्त करने का दायी होगा।

16. अपीलें :- (1) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित आदेश से पीडित हो वह –

(v) मण्डी समिति द्वारा किसी लाईसेन्स या उसके नवीनीकरण से इन्कार करने या किसी लाइसेन्स को खारिज या स्थगित करने पर अपील निदेशक के समक्ष कर सकेगा,

(vi) अध्यक्ष, सेक्रेटरी द्वारा किसी लाइसेन्स को स्थगित करने पर अपील, निदेशक के समक्ष कर सकेगा,

(vii) निदेशक द्वारा कोई लाइसेन्स खारिज करने या स्थगित करने पर अपील सरकार के समक्ष करेगा।

(2) तमाम अपीलें, पीडित व्यक्ति को आदेश की सूचना पहुंचाने की तिथि से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेंगी।

(3) सरकार या निदेशक, यथास्थिति, लिखित कारणों से अन्तिम निर्णय विचाराधीन रहते, अपीलग्रस्त आदेश की कार्यान्विति स्थगित कर सकेंगे।

(4) सरकार या निदेशक अपील का निर्णय, जिस प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की हुई हो, अपील स्वीकार क्यों नहीं की जाये इसका कारण बताने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् करेंगे।

17. मण्डी शुल्क वसूल करने की शक्ति – जो लाइसेन्सधारी मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज खरीद करे या बेचे उनसे मण्डी शुल्क निर्धारित तरीके से तथा ऐसी दर से मण्डी समिति वसूल करेगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे जो [रू. 2/-] प्रति एक सौ रूपये के मूल्य की कृषि उपज की अधिकतम सीमा के अधीनस्थ रहेगा।

परन्तु मस्टर्ड सीड की खरीद एवं बिक्री पर मण्डी शुल्क प्रति 100 रूपये पर 1/- रूपया निर्धारित किया गया।

परन्तु यह भी कि तिलहन की खरीद एवं बिक्री पर मण्डी शुल्क प्रति 100 रूपये 1/- रूपया निर्धारित किया गया।

एवं, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार, एतद्द्वारा, आदेश देती है कि, चूँकि कतिपय औपचारिकताएं पालन के कारण, राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति नियम, 1963 और मण्डी समिति के उप-नियमों में संशोधन करने में समय लगेगा। ऊपर कथित मण्डी शुल्क, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से लागू किया जाना प्रारम्भ हो जाएगा, बावजूद इसके कि संबंधित नियमों और उप-नियमों में तदनुसार संशोधन नहीं हुए है।

18. मण्डी समिति निधि – (1) मण्डी समिति द्वारा प्राप्त समस्त रकमें निधि (Fund) में भुगतान की जायेंगी, जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी और मण्डी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनार्थ किये गये खर्चों का भुगतान इसी निधि में से किया जायेगा।

(2) उक्त खर्चों का चुकारा करने के पश्चात् जो रकम मण्डी समिति के पास बची रहे वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई रीति से लाभार्थ जमा कराई जायेगी।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिसके लिए उक्त मण्डी समिति की स्थापना हुई, इस विषय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त या विशेष कर्मचारी वर्ग का खर्चा राज्य सरकार को भुगतान करेगी।

(4) जबकि कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति एक से अधिक मण्डी समितियों के प्रयोजनार्थ की गई हो, तो निदेशक ऐसे अतिरिक्त या विशेष कर्मचारियों का खर्चा तय करेगा और उस खर्चे का विभाजन संबंधित समितियों में करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(5) मण्डी समिति द्वारा रकम का निर्धारण जो निदेशक करे उसका निर्णय अन्तिम होगा।

18 ए – मण्डी विकास निधि में अंशदान – प्रत्येक मण्डी समिति प्रत्येक माह की पन्द्रह तारीख से पहले, निर्धारित रकम बोर्ड को भुगतान करेगी परन्तु वह राशि लाइसेन्स शुल्क, मण्डी शुल्क तथा न्यायालयों द्वारा लगाये गये जुर्मानों से प्राप्त आमदनी की [तीस] प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

19. प्रयोजन जिनके लिए निधि में से खर्चा किया जाएगा – धारा 18 के प्रावधानों के अधीनस्थ मण्डी समिति निधि में से खर्चा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा –

a. मण्डी के लिए अवस्थान या अवस्थानों (site or sities) का प्राप्त करना,

b. मण्डी चलाना तथा उसकी तरक्की करना,

c. मण्डी के प्रयोजनार्थ आवश्यक भवनों का निर्माण तथा मरम्मत और उनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा तथा सुरक्षा के लिए खर्च,

d. प्रमाणिक तोल और मापों का प्रावधान तथा उनका रख-रखाव,

e. वेतन, पेन्शनों, अवकाश भत्ते, ग्रेच्यूटी, दुर्घटना के फलस्वरूप हानि के लिए मुआवजा, मुआवजा भत्ते तथा उसके द्वारा नियोजित अधिकारीगण और कर्मचारियों के अवकाश भत्तों, पेन्शनों और भविष्य निधियों में अंशदान,

f. चुनाव तथा इस विषय में खर्चे,

g. मण्डी समिति के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों के ब्याज का भुगतान और ऐसे ऋणों के विषय में ऋण परिशोध कोष (Sinking fund) के लिए प्रावधान,

h. धारा 4 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विषय में फसल के आंकडों तथा विपणन सम्बन्धी मामलों में सूचना एकत्रित करना तथा विस्तार करना,

i. धारा 18 की उपधारायें (3) और (4) में उल्लिखित खर्चे का भुगतान,

(9ए) सुविधाओं के लिए प्रावधान करना जैसे कि व्यक्तियों के लिए भारवाही पशुओं गाडियों और लद्दू पशु जो मण्डी में आवें तथा लाये जावें उनके ठहरने के स्थान, गाडी खडी करने के स्थान, पानी की सुविधाओं का प्रावधान और मण्डी क्षेत्र में जोडने वाल सडकें, पुलियों और पुलों का निर्माण तथा मरम्मत तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो कि राज्य सरकार निदेशित करें,

j. कृषि की प्रगति के लिए प्रचार करना, और

k. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपनियमों (उप-विधियों) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए खर्चा।

19 क. किसान कल्याण कोष – (1) "किसान कल्याण कोष" नाम से एक निधि होगी जिसका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(2) किसान कल्याण कोष का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात् :

(क) उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के फसलोत्तर प्रबन्ध, भण्डारण, परिवहन, श्रेणीकरण, वेक्सिंग, पैक करने, प्रसंस्करण, विक्रय और निर्यात के संबंध में अध्ययन, सेमिनारें, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और प्रशिक्षण आयोजित करना;

(ख) ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों के आयोजकों को प्राइवेट एजेन्सियों, स्वशासी निकायों और सहकारी सोसाइटियों के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना;

(ग) फलों, सब्जियों को सम्मिलित करते हुए कार्बनिक रूप से उत्पादित कृषि वस्तुओं के और औषधीय वनस्पतियों के विपणन को बढावा देना;

(घ) विपणन क्रियाकलापों को बढावा देने की दृष्टि से मण्डी यार्ड के भीतर और बाहर अवसंरचना का विकास करना;

(ङ) उपर्युक्त क्रियाकलापों को बढावा देने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्करों के उपयोग को बढावा देना;

(च) नयी विपणन युक्तियों जैसे भावी मण्डियों, ई-कॉमर्स इत्यादि को बढावा देना;

(छ) कृषि उपजों के सीधे विपणन को बढावा देना;

(ज) कार्बनिक उपजों के पैक करने, प्रमाणन, लेबल लगाने और विपणन के विकास के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) कृषि उपजों के विपणन को बढावा देने की दृष्टि से फूड पार्क, कृषि क्लिनिक और कृषि कारबार केन्द्रों के विकास को बढावा देना; और

(ञ) वस्तु विनिर्दिष्ट मण्डियों का विकास करना।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति निधि में इतनी रकम का संदाय करेगी जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, किन्तु जो अनुज्ञप्ति फीस, मण्डी फीस और न्यायालयों द्वारा अधिरोपित जुर्मानों से उसके द्वारा प्राप्त आय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. ऋण लेने की शक्ति – (1) मण्डी समिति, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, जिन प्रयोजनों के लिए इसकी स्थापना हुई है उनको चलाने के लिए उसके द्वारा धारण की हुई किसी सम्पत्ति की जमानत पर तथा इस अधिनियम के अधीन लागू की जाने योग्य किन्हीं शुल्कों पर आवश्यक रकम का ऋण उठा सकेगी।

(2) मण्डी समिति, मण्डी स्थापित करने हेतु अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-नियमों (उप-विधियों) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित भूमि भवनों और सज्जा सामान पर किए जाने वाले खर्चों के लिए राज्य सरकार से ऋण ले सकेगी।

(3) जिन शर्तों के अधीन रकम या ऋण उठाया जायेगा या प्राप्त किया जायेगा और अवधि जिसके भीतर उसका वापस चुकारा किया जायेगा वह राज्य सरकार की पूर्वगामी स्वीकृति के अधीनस्थ रहेगी।

21. भूमि का अधिग्रहण – (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् किसी समय, यदि राज्य सरकार की यह सम्मत्ति हो कि इस

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है, तो सरकार राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 24) अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन भूमि ग्रहण करने की कार्यवाही कर सकेगी। इस प्रकार से अधिग्रहण की हुई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की हुई समझी जायेगी।

(2) जबकि ऐसी भूमि राज्य सरकार के अधिकार में हो तो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या कानून के अधीन निर्धारित मुआवजा तथा अधिग्रहण संबंधी राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्य खर्चों का जो राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे, मण्डी समिति द्वारा भुगतान करने पर भूमि मण्डी समिति को राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित कर दी जायेगी और ऐसे हस्तान्तरण करने पर वह भूमि मण्डी समिति में निहित (Vest) हो जायेगी।

(3) राज्य सरकार की पूर्वगामी स्वीकृति के बिना मण्डी समिति कोई भी भूमि जो उसने खरीदी हो या पट्टे (lease) पर ली हो अथवा जिस भूमि का अधिग्रहण करने से उपधारा (1) व उपधारा (2) के अधीन मण्डी समिति के अधिकार में आई हो उसे बेचान, उपहार (gift) बन्धक, पट्टेदारी या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी अथवा जिस प्रयोजन के लिए उक्त भूमि खरीदी गई हो, पट्टे पर ली गई हो या अधिगृहीत की गई हो उसके अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए वह भूमि उपयोग में नहीं लाई जायेगी।

21 क. जंगम या स्थावर सम्पत्ति का व्ययन – मण्डी समिति, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, मण्डी समिति में निहित किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, दान बंधक कर सकेगी, पट्टे पर दे सकेगी या अन्यथा अन्तरण कर सकेगी।

अध्याय – 4

व्यापारिक भत्ता (Trade Allowance)

22. निर्धारित तरीके के सिवाय कोई भी व्यापारिक भत्ता अनुज्ञ नहीं होगा – (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मण्डी क्षेत्र में संबंधित कृषि उपज के लेन-देन के विषय में, सिवाय नियमों या उप-नियमों (उप-विधियों) द्वारा निर्धारित भत्ते के कोई अन्य व्यापारिक भत्ता वसूल नहीं कर सकेगा और किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न किसी दावे या

कार्यवाही में कोई भी व्यवहार न्यायालय इस प्रकार से [अनिर्धारित] व्यापारिक भत्ते को मान्यता नहीं देगा।

स्पष्टीकरण – प्रत्येक कटौती, जो कि नमूने के आधर पर खरीद की हुई हो तो नमूने से विभिन्नता करने के कारण अथवा जबकि खरीद निर्धारित मानक के आधार पर की हुई हो तो मानक से विभिन्नता के कारण अथवा मानक तौल से करवाने के तौल में फर्क होने के कारण अथवा मिलावट के कारण की गई कटौती से अन्यथा हो वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यापारिक भत्ता समझा जायेगा।

(2) कोई भी लाइसेन्सधारी, कमीशन, मण्डी लागू शुल्क या कटौती सिवाय उप-नियमों द्वारा प्रावधानित के तथा उपनियमों के अधीन अनुज्ञा के व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से भी नहीं मांगेगा न प्राप्त करेगा, न वसूल या एकत्रित करेगा।

(3) अधिसूचित कृषि उपज का सौदा करने के दरमियान, कोई लाइसेन्सधारी या मण्डी में कोई अन्य व्यक्ति, किसी उत्सव के लिए या किसी धार्मिक, शैक्षणिक या दान संबंधी प्रयोजन के लिए किसी उत्पादक से कोई अंशदान नकद में या वस्तु के रूप में नहीं मांगेगा, न प्राप्त करेगा, न वसूल करेगा न एकत्रित ही करेगा।

अध्याय – 4 ए

राज्य कृषि मण्डी बोर्ड

22 ए. राज्य कृषि मण्डी बोर्ड – राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिए जारी की गई अधिसूचना द्वारा उसमें निर्देशित तिथि से राजस्थान राज्य के लिए एक बोर्ड स्थापित करेगी जो राजस्थान राज्य कृषि उपज मण्डी बोर्ड कहलायेगा।

(2) यह बोर्ड निगमित संस्था होगी जिसमें निरन्तर उत्तराधिकार होगा और इसकी संयुक्त मुहर होगी और इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा आरोपित प्रतिबन्धों के अधीनस्थ रहते अपने निगमित नाम से दावा करने या दावा किए जाने अथवा चल या अचल सम्पत्ति अधिग्रहीत करने, धारण करने और उसे निपटाने का या संविदा में प्रवेश करने और उसे निपटाने का या संविदा में प्रवेश करने तथा जिन प्रयोजनों के लिए उसका गठन हुआ है उनके लिए आवश्यक, उचित या उपयुक्त हो वे सब कार्य करने का उसको अधिकार होगा।

22 बी. राज्य कृषि मण्डी बोर्ड की रचना – (1) बोर्ड में, निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामार्थ –

(a) राज्य की मण्डी समितियों के अध्यक्षों द्वारा उनमें से दस निर्वाचित सदस्यगण। इस प्रयोजन के लिए, निर्धारित तरीके से राज्य को दस एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य चुना जायेगा।

(b) राजस्थान राज्य की मण्डी समितियों के व्यापारी सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से चुने हुए दो व्यापारी:

परन्तु शर्त यह है कि यदि किसी मण्डी समिति का अध्यक्ष कोई व्यापारी हो तो वह दो निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में चुनाव के लिए खडा होने का विकल्प ले सकेगा।

(c) राजस्थान सरकार का कृषि तथा पशुपालन विभाग का राज्य सचिव,

(d) राजस्थान सरकार का कृषि निदेशक,

(e) राजस्थान सरकार का पशुपालन निदेशक,

(f) राजस्थान सरकार का सहकारी संस्थाओं का पंजीयक,

(g) राजस्थान सरकार का भेड एवं ऊन विभाग का निदेशक,

(h) राजस्थान राज्य में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लिया हुआ एक अर्थशास्त्री जिसकी नामजदगी सरकार करेगी।

(i) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ["राजस्थान कृषि विपणन सेवा से संयुक्त निदेशक श्रेणी का एक अधिकारी"] बोर्ड का पदेन सदस्य सहित सैक्रेटरी होगा।

(j) सरकार द्वारा जनता में से नामजद दो सदस्य,

(k) राजस्थान सरकार का खाद्य आयुक्त या उसका मनोनीत व्यक्ति,

(l) राजस्थान राज्य भण्डारीकरण निगम का व्यवस्थापन निदेशक,

(m) भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय व्यवस्थापक,

(n) राजस्थान राज्य का कृषि विपणन निदेशक।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड के सदस्यगणों में से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी परन्तु शर्त यह है कि उपधारा (1) के अधीन चुने हुये किसी सदस्य को बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा और आगे शर्त यह

है कि यदि किसी मण्डी समिति का अध्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और वह ऐसी नियुक्ति स्वीकार करता है तो यह समझ लिया जायेगा कि उसने मण्डी समिति के उपाध्यक्ष के पक्ष में मण्डी समिति के अध्यक्ष पद का परित्याग उस तिथि से कर दिया है जिस तिथि को उसने बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है।

22 सी. बोर्ड के सदस्यों के नामों का प्रकाशन – राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों के नाम राजकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

22 डी. चुनाव की वैधता तय करना – यदि किसी सदस्य के चुनाव की चुनौती दी गई हो तो उसके चुनाव की वैधता पर निर्धारित रीति से राज्य सरकार निर्णय देगी।

22 ई. बोर्ड के निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्ति – (1) जिस सदस्य का निर्वाचन धारा 22-बी की उपधारा (ए) या (बी) के अधीन हुआ हो उसकी बोर्ड की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि वह संबंधित निर्वाचन मण्डल (electorate) का सदस्य न रहे।

(2) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु या सदस्यता समाप्ति के कारण कोई स्थान रिक्त हुआ हो तो वह रिक्त स्थान सरकार जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह निर्वाचित था उसमें से किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरेगी और इस प्रकार से नियुक्त सदस्य उस समय तक पद धारण करेगा जिस अवधि तक वह सदस्य पद धारण करता जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।

22 एफ. बोर्ड के सदस्यों की पद धारण की अवधि – निर्वाचित अथवा नियुक्त किए गए सदसयगण तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, परन्तु समय-समय पर सरकार लिखित कारणों से अधिसूचना द्वारा, यह अवधि बढा सकेगी जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

22 एफ.एफ. प्रथम बोर्ड सरकार द्वारा नामजद (नियुक्त) होगा – धारा 22 बी से कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् प्रथम बोर्ड के सदस्यगण (उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित) राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे और वे उसके गठन से तीन वर्ष तक पद धारण करेंगे –

परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार बोर्ड का कार्यकाल समय-समय पर बढा सकेगी जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

[आगे शर्त यह भी है कि जब उपर्युक्त परन्तुक के अधीन बोर्ड के कार्यकाल में बढोतरी की हुई हो, तो बढाए हुए कार्यकाल को किसी भी समय समाप्त करने के लिए सरकार सक्षम (competent) होगी।]

22-FFF. द्वितीय बोर्ड राज्य सरकार द्वारा नामजद नियुक्त होगा – इस अधिनियम में किन्हीं अन्य प्रावधानों के बावजूद, धारा 22 एफ.एफ. के अधीन नामजद (नामांकित) किए गए प्रथम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार किसी भी समय बोर्ड के सदस्यों को (उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित) नामजद करके द्वितीय बोर्ड का गठन कर सकेगी और इस प्रकार से नामजद किया गया द्वितीय बोर्ड उस अवधि के लिए पद धारण करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करें:

परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अधीन किए गए बोर्ड का कार्यकाल समय-समय पर आगे बढा सकेगी, किन्तु इस शर्त के साथ कि इस प्रकार से गठित बोर्ड का कार्यकाल कुल मिलाकर तीन वर्ष के समय से अधिक नहीं होगा:

[आगे शर्त यह भी है कि राज्य सरकार, यदि व सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो किसी भी समय, सरकारी राज-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा, इस धारा के अधीन गठित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त कर सकेगी और एक प्रशासक, बोर्ड की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों और कार्यकलापों का निष्पादन करने के लिए, नियुक्त कर सकेगी:

और शर्त यह भी है कि जब उपर्युक्त परन्तुक के अधीन बोर्ड का कार्यकाल समाप्त किया गया हो तो उसके अध्यक्ष को और उसके किसी सदस्य को बिना समाप्त हुए बकाया कार्यकाल की अवधि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा पाने का अधिकार नहीं होगा।]

22-FFFF. राज्य सरकार द्वारा तृतीय बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाना – इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 22-चचच के अधीन नामनिर्दिष्ट द्वितीय बोर्ड की पदावधि के अवसान अथवा समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों (उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित) को नामनिर्दिष्ट करके किसी भी समय तृतीय बोर्ड गठित कर सकेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट तृतीय बोर्ड ऐसी अवधि तक पद धारित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये :

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन गठित बोर्ड की पदावधि समय-समय पर किसी भी अतिरिक्त अवधि तक इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढा सकेगी कि इस प्रकार गठित बोर्ड की कुल अवधि कुल मिलाकर तीन वर्ष की कलावधि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना उचित समझे तो, राज-पत्र में अधिसूचना के जरिये इस धारा के अधीन गठित बोर्ड की अवधि किसी भी समय समाप्त कर सकेगी और बोर्ड की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह भी कि जहां पूर्वगामी परन्तुक के अधीन बोर्ड की अवधि समाप्त कर दी गयी है, वहां न तो उसका अध्यक्ष और न ही उसके सदस्यों में से कोई सदस्य, अपनी अवधि के अपर्यवसित भाग की बाबत किसी भी प्रतिकर का हकदार होगा।

22 जी. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य – (1) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य नियंत्रक तथा अधीक्षक अधिकारी होगा। बोर्ड के समस्त अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, इस अधिनियम, नियमों तथा उपनियमों (उप-विधियों) के अधीनस्थ रहते उसके नियन्त्रण में रहेंगे।

(2) अध्यक्ष –

(A) बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों की कार्यवाही संचालित करेगा,

(B) बोर्ड के वित्तीय तथा कार्यकारिणी (अधिशासी) मामलों की देखभाल करेगा,

(C) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखेगा।

(3) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड तथा उसके समितियों की बैठकों की अध्यक्षता, करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

22 एच. मण्डी विकास निधि – (1) मण्डी विकास निधि नाम की एक निधि होगी जिस पर बोर्ड का नियन्त्रण होगा।

(2) बोर्ड को समस्त प्राप्तियां मण्डी विकास निधि में जमा की जायेगी और अपने कर्तव्यों के पालन बोर्ड द्वारा किया गया खर्चा उसके नाम लिखा जायेगा।

22 एच.ए. बोर्ड की उधार लेने की शक्ति – इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड –

(क) राज्य सरकार से; या

(ख) राज्य सरकार के पूर्व अनूमोदन से, -

(i) किसी भी अन्य एजेन्सी से; या

(ii) उसमें निहित किसी भी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे प्रोदभूत होने वाली उसकी भावी आय के किसी भाग की प्रतिभूति पर डिवेंचर जारी करके –

धन उधार ले सकेगा।

22 आई. धन राशियाँ मण्डी विकास निधि में जमा करनी और बचत का लाभार्थ जमा करवाना (investment) - (1) मण्डी विकास निधि में निम्नलिखित राशियां जमा की जायेंगी –

(1) सरकार द्वारा स्वीकृत कोई अनुदान या ऋण,

(2) धारा 18ए के अधीन मण्डी समितियों द्वारा प्राप्त चन्दे (अंशदान),

(3) सरकार की अनुमति से बोर्ड द्वारा उठाये गये ऋण,

(4) ऐसी अन्य राशियां जिसका सरकार निदेशन दे।

(2) बोर्ड द्वारा वहन किए गए समस्त खर्चे कथित निधि में से अदा किए जायेंगे और बची हुई राशि जैसा कि निर्धारित किया जावे उसी तरीके से जमा कराई जायेगी।

22 जे. मण्डी विकास निधि किन-किन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जावेगी – मण्डी विकास निधि का उपयोग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जावेगा, नामार्थ –

(1) राज्य कृषि मण्डी समितियों का सुधार तथा नियमन,

(2) राज्य में स्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को ऋण तथा दान के रूप में सहायता देना ताकि वे अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का पालन कर सकने में समर्थ हो सके,

(3) कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेन्शनें, ग्रेच्यूटी, मुआवजा प्रदान करना और बोर्ड में ग्रेच्यूटी, काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेन्शनों और ग्रेच्यूटी में अंशदान। इस अनुच्छेद के अधीन तमाम खर्चे मण्डी विकास निधि पर प्रथम भार रखेंगे,

(4) बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित रीति से यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते देना,

(5) राज्य में कृषि उपज के विपणन के संबंध में शिक्षा देना तथा प्रचार करना,

(6) कानूनी खर्चों का भुगतान,

(7) मण्डी समितियों के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता का प्रावधान करना जिसमें निम्नलिखित प्रकार के प्रयोजनों के लिए मण्डी समितियों के लिए कर्मचारी वर्ग रखना सम्मिलित है -

(A) अभियान्त्रिकी

(B) मण्डी समितियों के हिसाब की जांच (audition)।

(8) मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, शिविर, कारखाने, सेमीनार (Seminars) और सम्मेलन (Conferences) का आयोजन करना,

(9) कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करना और समस्तरीय (Standardisation) करना,

(10) मण्डी की सडकों और मण्डी को जोडने वाली सडकों (approach roads) का निर्माण,

(11) मण्डी यार्डों व उप (गौण) यार्डों का निर्माण और उनको मण्डी समितियों के पक्ष में पट्टे (leasing) पर देना अथवा अन्तरण करना,

(12) निर्धारित तरीके से कर्मचारियों का ऋण तथा अग्रिम राशियां स्वीकृत करना,

(13) बोर्ड कार्यालयों की स्थापना और उनको चलाना,

(14) बोर्ड के हिसाब की जांच (audit of the accounts) पर खर्चा, और

(15) कृषि विपणन से संबंधित, सरकार की पूर्वगामी अनुमति से किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्चा।

22 के. बोर्ड के कार्य (functions) –

(1) बोर्ड, जहां तक सम्भव हो, धारा 22 जे में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक कार्य करेगा।

(2) जब भी पूछा जावे, बोर्ड सरकार को तथा मण्डी समितियों को कृषि विपणन के संबंध में परामर्श देगा।

22 एल. मामले जिनके लिए बोर्ड उपनियम बना सकेगा – निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बोर्ड उप-नियम (उप-विधियां) बना सकेगा, नामार्थ –

(a) धारा 22-जे और 22-के में उल्लेखित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए तरीका जिसके अनुसार बोर्ड कार्य करेगा,

(b) बोर्ड की सम्पत्तियों पर प्रशासन जिसमें विश्रामगृह, कर्मचारियों के क्वार्टर्स तथा अन्य बोर्ड के भवन सम्मिलित हैं,

(c) आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को सहायता देने की प्रक्रिया,

(d) बोर्ड तथा समितियों के सदस्यों को भत्तों का भुगतान,

(e) व्यक्ति या व्यक्तिगण जो बोर्ड की ओर से संविदा (Contract) में प्रवेश कर सकें या रकमें भुगतान कर सकें और ऐसा करने का तरीका, और

(f) अन्य कोई प्रयोजन, जिनमें बोर्ड की सम्पत्ति में, आशा की जाती है कि वे बोर्ड के या मण्डी समितियों के हितों को बढावा देंगे या कृषि उपज के विपणन में सुधार लाएंगे।

22 एम. अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान बोर्ड पर लागू होंगे – इस अध्याय में दिये गये प्रावधानों के सिवाय, इस अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान जो मण्डी समिति पर लागू है वह यथोचित आवश्यक परिवर्तनों सहित, बोर्ड पर लागू होंगे।

अध्याय 4 – ख

संविदा खेती

22 एन. संविदा खेती – (1) संविदा खेती क्रेता, मण्डी समिति के पास स्वयं का रजिस्ट्रीकरण ऐसी रीति से करवायेगा जो विहित की जाए।

(2) संविदा खेती क्रेता संविदा खेती करार को मण्डी समिति के पास रजिस्ट्रीकृत करवायेगा। संविदा खेती करार, ऐसे प्ररूप में और उसमें ऐसी विशिष्टियॉ और निबन्धन तथा शर्तें अन्तर्विष्ट होगी, जो विहित की जावें।

(3) संविदा खेती करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संविदा खेती उत्पादक का, संविदा खेती के अधीन उसकी भूमि पर का कोई भी हक, अधिकार, स्वामित्व या कब्जा, संविदा खेती क्रेता या उसके उत्तराधिकारी या उसके अभिकर्ता को, संविदा खेती करार से उदभूत परिणाम के तौर पर अन्तरित या अन्य संक्रान्त या उसमें निहित नहीं होगा।

(4) यदि कोई विवाद पक्षकारों के बीच करार के उपबन्धों के सम्बन्ध में उदभूत होता है तो कोई भी पक्षकार विवाद को माध्यस्थम् के लिए मण्डी समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मण्डी समिति पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का निपटारा करेगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन मण्डी समिति के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर निदेशक को अपील कर सकेगा। निदेशक, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा और निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) उप-धारा (4) के अधीन मण्डी समिति का विनिश्चय और उप-धारा (5) के अधीन अपील में विनिश्चय सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा और डिक्री की रकम, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

(7) संविदा खेती करार से सम्बन्धित और उससे उदभूत होने वाले विवाद इसमें ऊपर किये गये उपबन्धों के अनुसार निपटाये जायेंगे और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे।

(8) संविदा खेती के अधीन कृषि उपज, संविदा खेती क्रेता को मुख्य मण्डी को छोडकर, मण्डी यार्ड से भिन्न स्थानों पर विक्रीत की जा सकेगी। मण्डी फीस, कृषि उपज के संविदा खेती क्रेता द्वारा धारा 17 के अधीन विहित दरों से और ऐसी रीति से संदेय होगी जो विहित की जाये।

(9) संविदा खेती करार फलों, सब्जियों, औषधीय वनस्पतियों या सुगन्धित वनस्पतियों और ऐसी अन्य कृषि उपजों के लिए किया जा सकेगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय 5

विविध

23. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाये जाने का दायित्व – (1) प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कर्तव्यों के पालन में दुराचरण के कारण या कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने से या अयोग्य होने के कारण, सरकार द्वारा उनको पद से हटाया जा सकेगा और इस प्रकार से हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसकी सदस्यता उपधारा (2) के अनुच्छेद (बी) के अधीन समाप्त नहीं हुई है। वह मण्डी समिति के सदस्य के नाते अपने पद की शेष अवधि में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए पुन: निर्वाचित होने का अधिकारी नहीं होगा।

(2) (ए) सरकार, यदि उचित समझे तो, मण्डी समिति की सिफारिश पर या किसी शिकायत पर या अन्य किसी पर्याप्त कारण से उसको और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और जो जांच सरकार आवश्यक समझे वह करने के पश्चात् यदि किसी मण्डी समिति का सदस्य, सरकार की सम्मति में, अपने कर्तव्यों के पालन में दुराचरण अथवा किसी लज्जाजनक आचरण का दोषी हो या जो सदस्य की हैसियत से

कार्य करने के अयोग्य हो गया हो या जो मण्डी समिति के हितों के विरूद्ध कोई कार्य करता हो तो उसे पद से हटा सकेगी।

(बी) जब उपधारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से अपने कर्तव्यों के पालन में दुराचरण के कारण हटाया गया हो तो वह हटाये जाने की तिथि से सदस्य के रूप में नहीं रहेगा और मण्डी समिति की सदस्यता से भी हटाया गया समझा जायेगा।

24. हानि या दुरूपयोग के लिए सदस्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी – निधि के किसी भी अंश की हानि या दुरूपयोग के लिए मण्डी समिति के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत दायित्व होगा यदि वह ऐसी हानि या दुरूपयोग में शामिल था अथवा ऐसे सदस्य के रूप में कर्तव्यों के पालन में उसकी घोर लापरवाही के कारण ऐसा घटित हुआ और इस प्रकार से उत्पन्न धन के उपयोग या हानि की वसूली के लिए उसके विरूद्ध दावा उसी प्रकार से किया जा सकेगा मानो उक्त धन राशि राज्य सरकार की सम्पत्ति थी।

[प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा हटाया गया।]

25. समिति के अधिकारियों और सदस्यों का सूचना देने का कर्त्तव्य – जबकि मण्डी समिति के कार्य कलापों की जांच हो रही हो अथवा समिति की कार्यवाहियों की जांच धारा 39 के अधीन निदेशक द्वारा की जा रही हो तो निदेशक द्वारा अपेक्षित समिति के मामलों और कार्यवाहियों की सूचना (जानकारी) जो उनके पास हो, समस्त अधिकारी तथा सदस्य निदेशक को देंगे।

26. उपस्थिति आदि बाध्य करने की शक्ति – किसी मण्डी समिति के मामलों की जांच करते हुए या धारा 25 के अधीन समिति की कार्यवाहियों को जांच करते हुए, निदेशक को मण्डी समिति के अधिकारियों या सदस्यों की उपस्थिति सम्मन द्वारा बाध्य करने की शक्ति होगी या उनको साक्षी देने तथा दस्तावेज पेश करवाने की शक्ति यथासम्भव उसी माध्यम से व ऐसे तरीके की होगी जैसी कि व्यवहार न्यायालय के लिए जाब्ता दीवानी 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 1908 का क्रमांक 5) में प्रावधानित है।

27. मण्डी समिति का अतिक्रमण करना – यदि राज्य सरकार की सम्मति में कोई मण्डी समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित कर्तव्यों का पालन

करने में अक्षम है, या ऐसा करने में बार-बार त्रुटियां करती हो या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करती हो, तो राज्य-सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त मण्डी समिति का अतिक्रमण (बन्द) कर सकेगी :

परन्तु शर्त यह है कि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व राज्य सरकार उक्त मण्डी समिति को अतिक्रमण नहीं किए जाने का कारण व्यक्त करने का समुचित अवसर प्रदान करेगी और मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और आपत्तियों पर विचार करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन मण्डी समिति के अतिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर आगे निम्नलिखित परिणाम होंगे:-

(i) इस प्रकार प्रकाशन करने की तिथि से मण्डी समिति के समस्त सदस्य तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने पद रिक्त करना समझा जायेगा।

(ii) राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार, आदेश द्वारा या तो धारा 7 के अधीन कोई नयी मण्डी समिति गठित कर सकेगी या मण्डी समिति के कृत्यों के पालन के लिए एक समय में छह माह की कालावधि किन्तु कुल मिलाकर अठ्टारह मास से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी जो वह ठीक समझे और अठ्टारह मास की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्वी धारा 7 के अधीन एक नयी मण्डी समिति गठित की जायेगी।

(iii) मण्डी समिति के अधिकार में रहे समस्त परिसम्पत् (assets) उसके दायित्वों के अधीनस्थ रहते, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।

(3) यदि उपधारा (2) के उपखण्ड (ii) के अधीन राज्य सरकार कोई आदेश देती है तो वह अन्तरण की तिथि को स्थित मण्डी समिति के परसिम्पत (assets) और दायित्वों (liabilities) को धारा 7 के अधीन गठित नई मण्डी समिति को अथवा उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, यथा स्थिति अन्तरण करेगी जिनको मण्डी समिति के कार्य चलाने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(4) यदि राज्य सरकार इस प्रकार का कोई आदेश नहीं देवे तो वह मण्डी समिति के समस्त परिसम्पत् (assets) को जो दायित्वों का चुकारा करने के पश्चात् शेष बचे, उस स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरित करेगी जिसके कि क्षेत्राधिकार में वह मण्डी क्षेत्र स्थित है, जिसके लिए उक्त मण्डी समिति का गठन हुआ था और यदि ऐसे प्राधिकारी एक से अधिक हों तो ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी को उतना भाग हस्तान्तरित करेगी जितना सरकार निश्चित करे।

(5) जिस स्थानीय प्राधिकारी को किसी मण्डी समिति के परिसम्पत् (assets) उपधारा (4) के अधीन हस्तान्तरित किये गये हों वह उनका उपयोग अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में उन उद्देश्यों के लिये करेगा जिनको राज्य सरकार उस क्षेत्र के कृषकों के लिए हितकारी समझे।

27-ए. प्रशासक की नियुक्ति – (1) इस अधिनियम या नियमों में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, यदि किसी समय सरकार को प्रतीत हो कि किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय या आदेश के कारण कोई मण्डी समिति इस अधिनियम के अधीन वैध रूप से गठित नहीं हुई है, या वह कार्य करने में असमर्थ हो गई है, या मण्डी समिति की अवधि समाप्त हो गई है, या उसके कुल रिक्त स्थान निर्वाचित मण्डी समिति के [निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या] के एक तिहाई भाग से अधिक है, या मण्डी समिति अन्यथा कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा मण्डी समिति की समस्त या कतिमय शक्तियों, तथा कर्तव्यों का प्रयोग उस रीति से और ऐसे अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीनस्थ रहते करवा सकेगी, जैसा कि वह अधिसूचना द्वारा निर्देशन करे।

(2) यदि मण्डी समिति, उपधारा (1) में बताये गये किन्हीं कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो गई हो तो सेक्रेटरी तथा निदेशक का कर्त्तव्य होगा कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके, मामले को सरकार के ध्यान में लावें और जब तक सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही नहीं की जावे तब तक मण्डी समिति की समस्त सम्पत्तियों को न्यास (trust) के रूप में धारण करने के लिए प्रभावशील उपाय करें।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तिथि तक मण्डी समिति की जिन शक्तियों को प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन सदभावनापूर्वक उन व्यक्तियों ने किया जिनसे मण्डी समिति गठित हुई थी तो उक्त व्यक्तियों द्वारा वैधतापूर्वक उनका प्रयोग तथा पालन करना समझा जायेगा और वे अवैध नहीं समझे जायेंगे अथवा केवल इस आधार से इसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे व्यक्ति वैधता पूर्वक गठित मण्डी समिति के सदस्य नहीं थे।

27-बी. प्रवेश तथा तलाशी की शक्ति – (1) मण्डी समिति का सेक्रेटरी अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी –

(a) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति पर लागू किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये किसी भी उचित समय पर समस्त हिसाब किताब, रजिस्टर्स तथा अन्य अभिलेख जो अधिसूचित कृषि उपज के क्रय व

विक्रय संबंधी हो उनकी जांच कर सकेगा और किसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान जहां ऐसी बहियां या रजिस्टर या अभिलेख या ऐसा माल रखा जाता हो उसमें प्रवेश कर सकेगा और जैसा आवश्यक समझे जांच की हुई इन बहियों, रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों की नकलें या सारांश ले सकेगा या लिवा सकेगा।

(b) लिखित कारणों से कोई बहियां, रजिस्टर्स तथा अन्य अभिलेखों को जब्त कर सकेगा और उनको उठाने से पहले बहियों और रजिस्टरों की सूची तैयार की जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी।

(c) कोई भी ऐसी कृषि उपज जब्त कर सकेगा जिसके विषय में यह विश्वास करने के कारण हों कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और उन वाहनों और पशुओं को जब्त कर सकेगा जिनके लिए उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी कृषि उपज को ले जाने के लिए उनका उपयोग हो रहा है अथवा हुआ है और उनको तब तक रोके रखेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के अधीन फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए उनकी आवश्यकता रहे।

परन्तु कृषि उपज, वाहन या पशु जब्त करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले दण्डनायक (मजिस्टेट) को जब्त करने की रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करेगा और जाब्ता फौजदारी 1898 की धारा 523, 524 और 525 के प्रावधान जहां तक सम्भव हों कथित जब्त किए हुए अधिसूचित कृषि उपज, वाहन या पशु पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार पुलिस अधिकारी द्वारा सम्पत्ति जब्त करने पर लागू होते हैं।

आगे शर्त यह है कि कोई भी इस प्रकार की कृषि उपज, वाहन या पशु को जब्त करने के कारण जब्ती से चौबीस घन्टों के भीतर उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उनकी जब्ती हुई तथा उस दण्डनायक को जिसको इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हो संसूचित करेगा।

(2) ऐसी कार्यवाही से पीडित व्यक्ति निदेशक के समक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा, जो सेक्रेटरी अथवा उस प्रकार से प्राधिकृत अधिकारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का फैसला

करने के लिए अग्रसर होगा और निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय का पालन किया जायेगा।

(3) जाब्ता फौजदारी (दण्ड प्रक्रिया संहिता) सन् 1898 की धारा 102 व 103) के जो प्रावधान तलाशी व जब्ती के विषय में हैं, वे यथासम्भव इस धारा के अधीन की गई तलाशियों और जब्तियों पर भी लागू होंगे।

28. कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दण्ड – (1) जो कोई धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसका दोष सिद्ध होने पर वह साधारण कैद की सजा से दण्डित होगा जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी और जुर्माना होगा जो दो हजार रू. तक का होगा तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् जब तक उल्लंघन जारी रहे तब तक प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपये तक का अतिरिक्त जुर्माना किया जायेगा।

(2) जो व्यक्ति, धारा 17 के अधीन देय कोई मण्डी शुल्क जान बूझकर देने से कतरायेगा वह दोष सिद्ध होने पर साधारण कैद की सजा से दण्डित होगा जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी और जुर्माना होगा जो एक हजार रूपये तक होगा। आरोपित होने वाले जुर्माने के अतिरिक्त दण्ड नायक, देय मण्डी शुल्क सरकारी तौर से वसूल करेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और अपने स्वविवेक से मुकदमा चलाने का खर्चा भी जो वह निश्चित करे, यदि कोई हो, सरकारी तौर से वसूल करके मण्डी समिति को अदा कर सकेगा।

(3) जो सेक्रेटरी को या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी को धारा 27बी के अधीन दुकान, गोदाम, कारखाने या अन्य स्थान में प्रवेश करने से तथा हिसाबात रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की नकलें लेने से रोके या दस्तावेजों को जब्त करने में रूकावट करेगा, वह अपराध सिद्ध होने पर साधारण कैद की सजा से दण्डित होगा जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी या जुर्माना होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों सजायें दी जा सकेंगी, और उसके बाद पुन: उल्लंघन करने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए तीन महीने तक की साधारण कैद और एक हजार रूपये तक का जुर्माना होगा।

(4) जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा उसे यदि उस अपराध के लिए इस अधिनियम में कोई दण्ड प्रावधानित न हो तो जुर्माने की सजा दी सकेगी जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा।

29. धारा 22 का उल्लंघन करने पद दण्ड – जो कोई धारा 22 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह दोषी सिद्ध होने पर साधारण कैद की सजा से दण्डित होगा जिसकी अवधि एक महीने तक की हो सकेगी और जुर्माना होगा जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा। तथापि प्रथम अपराध के लिए उसे एक हजार रूपये तक के जुर्माने की सजा दी जायेगी। आरोपित किए गए जुर्माने के अतिरिक्त, दण्डनायक उस व्यक्ति को आदेश देगा कि जो राशि उससे बिना प्राधिकार के वसूल की है वह मण्डी समिति में जमा करावे।

30. धारा 25 का उल्लंघन करने पर दण्ड – यदि मण्डी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य धारा 25 के अधीन मण्डी समिति के मामले या कार्यवाहियों की अपेक्षित सूचना देने में –

(ए) जानबूझकर लापरवाही करे या सूचना देने से इन्कार करे या

(बी) जानबूझकर गलत सूचना देवे

तो वह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने की सजा से दण्डित किया जायेगा जो पचास रूपये तक का हो सकेगा।

31. नोटिस के अभाव में दावा करने पर प्रतिबन्ध – (1) किसी मण्डी समिति या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, जो ऐसी मण्डी समिति या उसके सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के आदेश के अधीन कार्य करता हो, किसी भी कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सदभावनापूर्वक ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी की हैसियत से किया गया हो, कोई दावा तब तक दायर नहीं किया जा सकेगा जब तक कि दो माह का लिखित नोटिस, जिसमें विनाय दावा (वाद कारण) इच्छुकवादी का नाम और निवास स्थान और मांगी गई दादसी (relief) बताई गई हो और जो मण्डी समिति के मामले में उसके कार्यालय में नहीं दिया गया हो और ऐसे किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी होने की स्थिति में उनको नहीं दिया हो या उनके कार्यालय या उनके सामान्य निवास स्थान पर नहीं पहुंचा दिया गया हो और उसके पश्चात् दो महीने का समय नहीं बीत गया हो और वाद पत्र में इस प्रकार के नोटिस देने या पहुंचा देने का तथ्य लिखा हुआ होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक दावा जो आरोपित बिनाय दावा पैदा होने की तिथि से 6 महीनें के भीतर नहीं हुआ हो, खारिज किया जायेगा।

32. अपराधों की सुनवाई – (1) इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उप नियमों के अधीन कोई अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी दण्डनायक या विशेष अधिकारयुक्त द्वितीय श्रेणी दण्डनायक की न्यायालय के सिवाय अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी।

(2) जब तक कि सैक्रेटरी या निदेशक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्ति लिखित में इस्तगासा न कर तब तक इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध को कोई भी न्यायालय विचार के लिए मान्यता (Cognizance) नहीं देगा।

32-ए. अपराधों के लिये राजीनामे – एक उप-समिति, जिसमें अध्यक्ष, सरकार का एक मनोनीत व्यक्ति और सेक्रेटरी होंगे, इस अधिनियम, नियमों तथा उपनियमों (उप-विधियों) के अधीन घटित अपराधों के लिये राजीनामा कर सकेगी और ऐसे अपराध में राजीनामा करने के लिये अपराधी से निम्नलिखित धनराशियां स्वीकार कर सकेगी, नामार्थ -

(ए) जब कि अपराध किसी शुल्क (फीस) या इस अधिनियम या नियमों के अधीन देय अन्य राशि भुगतान करने में विफल होने का या कतराने का हो, तो इस प्रकार से वसूली योग्य राशि और उसके अतिरिक्त ऐसी राशि जो पांच सौ रूपये से अधिक न हो या शुल्क तथा अन्य देय राशि से दुगुनी रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, एवं

(बी) उन अपराधों के लिये जिनका दण्ड केवल जुर्माना हो, ऐसी राशि जो उक्त जुर्माने से अधिक न हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन राजीनामा होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध ऐसे अपराध के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी और यदि इसके विरूद्ध किसी न्यायालय में पहले से ही कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी हो तो राजीनामा होने पर उसके विरूद्ध आरोप वापिस लिये गये समझे जायेंगे।

33. वसूल शुदा जुर्माना मण्डी समिति निधि में जमा कराना - तमाम जुर्माने तथा पेनेल्टी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-नियमों (उप-विधियों) के अधीन दण्डनीय फौजदारी अपराधों में जब भी वसूल हों तब सम्बन्धित मण्डी समिति निधि में जमा कराई जायेंगी और उस निधि का भाग होगी।

34. सरकार या मण्डी समिति को देय राशि की वसूली - (1) प्रत्येक धनराशि जो मण्डी समिति से राज्य सरकार को देय हो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल योग्य होगी।

(2) (ए) किसी भी भार, मूल्य, शुल्क, किराया या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपनियमों (उप-विधियों) के अधीन कोई भी अन्य राशि, जिस व्यक्ति में शेष निकलती हो उसके राज्य सरकार द्वारा मण्डी समिति की ओर से उसी तरीके से वसूल योग्य होगी जैसे कि भू-राजस्व की बकाया होती है।

(बी) यदि कोई प्रश्न उठे कि आया कोई रकम अनु. (ए) के अभिप्राय से मण्डी समिति को देय है या नहीं, तो वह निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा और निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे; तथा जिस व्यक्ति में उक्त राशि बकाया होना बताया गया है, उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रश्न पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

34-ए. राज्य सरकार द्वारा निदेशन - (1) राज्य सरकार बोर्ड या मण्डी समितियों को सामान्य अनुदेश दे सकेगी जिनका अनुसरण बोर्ड या मण्डी समितियां इस अधिनियम के प्रयोजनों का परिपालन करने के लिए करेंगे और ऐसे अनुदेशों (instructions) में मण्डी समिति निधि या विपणन विकास निधि में से खर्चा किए जाने वाले प्रयोजनों और तरीकों के संबंध में और बोर्ड या समितियों के पास शेष रकमें रखी जाने के तरीके के बारे में भी आदेश सम्मिलित हो सकेंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के परिपालन में, बोर्ड या मण्डी समिति उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किए गए सामान्य अनुदेशों से हटकर कोई कार्य नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई हो।

35. शक्तियों का समर्पण (Delegation of Powers) - (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियां समर्पण कर सकेगी सिवाय उन शक्तियों के जो [XXX] अथवा धारा 36 अथवा धारा 40 के अधीन प्रयोग हो सकती है।

(2) निदेशक, इस प्रयोजन के लिये आदेश जारी करके निदेशन दे सकेगा कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा जिसका कि उल्लेख उक्त आदेश में हो।

36. नियम - (1) राज्य सरकार या तो सामान्यत: अथवा किसी मण्डी क्षेत्र या मण्डी क्षेत्रों के लिए विशेषत: इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) खासतौर से और उपरोक्त प्रावधान की सामान्यता को प्रभावित किये बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए या उनके नियमन के लिए बना सकेगी।

(ए) मण्डी क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड।

(एए) मण्डी समिति के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन का तरीका, समय-समय पर मतदाताओं की सूचियां तैयार करना और उनका संशोधन करना, मतदाताओं और उम्मीदवारों की योग्यतायें तथा अयोग्यतायें और ऐसे निर्वाचन से संबंधित या इसके कारण घटित खर्चों का भुगतान;

(बी) मण्डी समिति के अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोगनीय शक्तियां और उनके कर्त्तव्य;

(सी) मण्डी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और उसके पद धारण की अवधि;

(डी) मण्डी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्त स्थानों की भर्ती;

(ई) मण्डी का प्रबन्ध तथा मण्डी क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली का तरीका;

(एफ) व्यापारियों, दलालों, तोलने वालों, मापने वाले सर्वेक्षकों, भण्डारीकरण करने वालों को तथा मण्डी (क्षेत्र) में कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को लाइसेन्स जारी करने, प्रपत्र तथा शर्तें जिनके अधीन लाइसेन्स जारी होंगे या नवीनीकरण किये जायेंगे और उनके लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(जी) मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के किसी सौदे में व्यावारिक भत्ता जो दिया जावे अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लिया जावे;

(एच) कृषि उपज के क्रय-विक्रय में खरीददारी व बेचान करने वाले, दोनों की तरफ से या खरीददार और विक्रय करने की हैसियत से कार्य करने की दलालों को मुमानियत;

(आई) मण्डी में लाई गई कृषि उपज को गोदाम में रखने के लिए स्थान व्यवस्था;

(जे) मण्डी समिति के आंशिक या पूर्णत: खर्च पर प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए नक्शे तथा तकमीनें (estimates) बनाना तथा ऐसे नक्शे और तकमीनों के लिये मंजूरी प्रदान करना;

(के) प्रपत्र जिसमें मण्डी समिति के हिसाब रखे जायेंगे, ऐसे हिसाबों का परीक्षण (audit) तथा प्रकाशन तथा ऐसे निरीक्षण के लिए खर्चा, यदि कोई हो;

(एल) वार्षिक बजट बनाना और स्वीकृति के लिए प्रेषित करना और मण्डी समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विवरण पत्र (return) प्रेषित करना;

(एम) मण्डी समिति की बचत निधि की लाभार्थ लगाना (investment) बन्द तथा उसका निपटारा;

(एन) दलालों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को अग्रिम राशि (पेशगी) देने के नियमन;

(ओ) कृषि उपज में मिलावट करने पर रोक लगाना;

(पी) कृषि उपज को श्रेणी बद्ध करना तथा उसको समस्तरीय (standardisation) करना;

(क्यू) कृषि उपज में भावों की सूची रखना जिसके विषय में मण्डी की स्थापना हुई हो;

(आर) मण्डी में कृषि उपज की नीलामी और नीलाम की बोलियां बोलने का तरीका और उनकी स्वीकृति;

(एस) इस अधिनियम के अधीन लागू (मण्डी शुल्क अथावा अन्य शुल्कों) की वसूली और उनका निपटारा;

(एस ए) उपभोक्ता कृषक मण्डी के लिए अवसंरचना, उपभोक्ता कृषक मण्डी के विक्रय की रीति, उपभोक्ता कृषक मण्डी में एक समय में क्रय की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा, उपभोक्ता कृषक मण्डी में प्रभार्य मण्डी सेवा प्रभार की दर;

(एस बी) वह रीति और प्ररूप जिसमें प्राइवेट उप-मण्डी और उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा, प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड और उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति फीस और ऐसी अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें;

(एस सी) वह रीति, जिसमें मण्डी समिति, कृषि उपज की मण्डी को विनियमित करेगी;

(एस डी) वह रीति, जिसमें मण्डी समितियाँ, अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करेगी;

(एस ई) वह रीति जिससे, मण्डी क्षेत्र में उपयोग आने वाले मानक, बाट और मापक और मण्डी समिति में काम करने वाले व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों और अन्य व्यक्तियों द्वारा संधारित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरक्षण और सत्यापन मण्डी समिति द्वारा किया जा सकेगा;

(एस एफ) वह प्ररूप जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई करार निष्पादित किया जायेगा जो मण्डी क्षेत्र में उपज का क्रय करता है;

(एस जी) वह रीति जिसमें संविदा खेती क्रेता मण्डी समिति के पास रजिस्ट्रीकरत होंगे, संविदा खेती करार का प्ररूप और ऐसे प्ररूप में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ और निबंधन और शर्तें और वह रीति, जिसमें संविदा खेती क्रेता द्वारा मण्डी फीस का संदाय किया जायेगा।

(टी) कोई भी मामला जिसके लिए अधिनियम के किसी प्रावधान का निर्धारण करना आवश्यक हो या जिसके लिए नियम बनाना अपेक्षित;

(यू) सामान्यत: इस नियम के प्रयोजनों तथा प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम प्रावधान कर सकता है कि इसका उल्लंघन अथवा उसके अधीन जारी किये गये नवीनीकरण किये गये किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करने से, दोष सिद्ध होने पर, जुर्माने से दण्डनीय हो जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीनस्थ है कि नियम प्रकाशित करने के पश्चात् बनाया जावें।

परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य सरकार नियमों को तुरन्त प्रभावशाली करना उचित समझती है तो बिना पहले प्रकाशित किये नियम बना सकेगी।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिम रूप से बनाये गये नियम बनाने के पश्चात् जितना शीघ्र हो सके राज्य के विधान मण्डल के समक्ष जब कि उसका सत्र चालू हो, कम से कम चौदह दिनों के लिए, जो कि एक सत्र में हो या दो लगातार सत्रों मे रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की समाप्ति से पहले जिसमें वे रखे गये हो या उसके तुरन्त बाद के सत्र में विधान मण्डल का सदन उक्त किन्हीं नियमों में संशोधन करें या निर्णय ले की ऐसे नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो वे नियम केवल उक्त संशोधनों के रूप में प्रभावित होंगे या, यथास्थिति लागू नहीं होंगे परन्तु उनके अधीन पहले से किये गये कार्यों की वैधता पर उक्त संशोधन या निरस्त्रीकरण या कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

37. उपनियम (उप-विधियां) - (1) धारा 36 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनये गये नियमों के अधीनस्थ रहते मण्डी समिति, उसके अधीन के मण्डी क्षेत्र, के विषय में व्यापार और उस पर लागू विपणन की शर्तों को नियमित करने के लिये उप-नियम (उप-विधियां) बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये उप नियमों (उप-विधियों) में ऐसा प्रावधान किया जा सकेगा कि उनके किसी उल्लंघन पर, अपराध सिद्ध होने से, पचास रूपये तक के जुर्माने का दण्ड दिया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये उप नियम (उप-विधियां) तब तक प्रभावशील नहीं होंगे जब तक कि उनकी स्वीकृति निदेशक ने या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेषत: प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी ने प्रदान नहीं की हो।

38. उप-नियम (विधियाँ) बनाने की निदेशक की शक्ति - (1) यदि कोई मण्डी समिति अपने गठन के 6 महीने के भीतर, धारा 37 के अधीन, उसके प्रबन्ध के अधीन मण्डी क्षेत्र के विषय में आवश्यक उप-नियम (उप-विधियां) बनाने में विफल होती है, तो निदेशक (Director) ऐसे उप-नियम बना सकेगा और धारा 37 की उप-धारा (2) के अनुसार उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान भी कर सकेगा।

(2) ऐसे उप-नियम (उप-विधियां) तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक धारा 37 के अधीन मण्डी समिति द्वारा बनाये गये उपनियमों द्वारा उनका अतिक्रमण न हो जावे।

39. मण्डी समिति से कार्यवाहियां मंगवा कर उन पर आदेश देने की निदेशक की शक्ति - निदेशक, किसी भी मण्डी समिति की कार्यवाहियां मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये किसी निर्णय या आदेश की नियमों के अधीन वैधता या उचित होने (propriety) के विषय में अपने स्वयं की सन्तुष्टि के प्रयोजन से मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा। यदि किसी मामले में निदेशक को ऐसा प्रतीत होता हो कि इस प्रकार से मंगवाया गया कोई निर्णय या आदेश संशोधित किया जाना चाहिये, निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो उस पर वह ऐसा आदेश जारी कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

40. अनुसूची को संशोधन करने का सरकार को अधिकार - राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज वस्तुओं के कोई भी नाम अनुसूची में जोड सकेगी, संशोधित कर सकेगी या हटा सकेगी।

40-क. मण्डी फीस से छूट प्रदान करने की शक्ति: यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित मे ऐसा किया जाना समीचिन है तो यह राज पत्र में अधिसूचना द्वारा चाहे भविष्यलक्षी रूप से या भूत लक्ष्य रूप से अधिसूचना में विनिर्दिष्ठ किसी अनुज्ञाप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारीयों वर्ग को मण्डी क्षेत्र में उसके द्वारा क्रय की गयी या विक्रय की गयी किसी भी कृषि उपज पर संदेय मण्डी फीस के संदाय से, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी शर्त सहित जो अधिसूचना से विनिर्दिष्ठ की जाये, छूट प्रदान कर सकेगी।

41. व्यावृत्तियां (Savings) - किसी भी मण्डी की स्थापना करने, चलाने या नियमित करने के संबंध में तत्समय लागू कोई कानून धारा 4 के अधीन घोषित किसी मण्डी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या किसी प्रकार से निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:-

(1) धारा 4 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त किसी लाइसेन्सधारी के अधिकार या मण्डी समिति के या सहकारी मार्केटिंग संस्था के अधिकार जो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय के लिए मण्डी

क्षेत्र में धारा 9 के अधीन मण्डी लगाने, स्थापित करने या जारी रखने या लगाने, स्थापित करने या जारी रखने की अनुमति देने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञ हो।

(2) धारा 14 के अधीन प्रदत्त लाइसेन्सधारी के अधिकार।

42. कठिनाइयों को मिटाने की शक्ति :- इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर के उपयुक्त आदेश देकर कठिनाई को हटाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कार्य कर सकेगी।

अनुसूची

[देखिये धारा 2 (1) (i)]

1.	**तन्तु**	कपास
2.	**धान**	गेहूं, जौ, बेजड, गौचाना, गोजरा, ज्वार, कक्का, बाजरा [1][चावल-केवल दिनांक 22.8.1979 तक] [2][धान्य (पेडी)।]
3.	**फली वाले धान्य**	मंग, अरहर, उडद, चोला, बटला, चना, मूँगफली, मोठ, मूँगफली के दाने, गंवार, कुल्थी, मसूर
4.	**तिलहन**	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन, सूर्यमूखी, रायला [3][मतीरा बीज, तुम्बा बीज, महुआ बीज, सुंआ]
5.	**फल**	नींबू, माल्टा, संतरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, सिंगाडा, केले, बेर, मौसमी, अंगूर, फालसा, खीरा-ककडी, सेव, शहतूत, खिरनी, चीकू, लीची, लीकाट, आंवला, खुरमानी, आडु, जामुन, कमलगट्टा, आलू-बुखारा
6.	**सब्जियां**	आलू, शकरकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, बन्दगोभी, गाजर, बैंगन, मूली, [4][हरी मिर्च] भिण्डी, हरा मटर, [6][.....] लहसुन, पत्ते वाली सब्जियां, टिण्डा, लौंकी, अरबी, तोरई, करेला, हरी चौहलई, हरी हल्दी करौंदा, कैरी, शलगम [5][.....] परवल, जमीकन्द, कटहल, कमल ककडी, रतालू।
7.	**पशुपालन उत्पादन**	उन और घी, [3][जूट (उँट व बकरी के बाल)] [7][बटर ऑय]
8.	**मसाले**	जीरा, धनिया, [8][लाल मिर्च], मेथी, सौंफ, अजुवाइन, अदरक
9.	**वन उपज**	[9][.....] [10][इमारती लकडी (हस्तशिल्प विनिर्माण के लिये आयातित लकडी को छोडकर)]
10.	**विविध**	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड, चीनी, खाण्ड, खाण्ड-सारी, इसबगोल, [11][मेहन्दी], [12][रेशम कोकून, डचा, बूरा, चुकन्दर], [13][अश्वगंधा], [14][1. फूल, फलों की सूखी पत्तियां, 2. चाय पत्ती, 3. कॉफी, 4. नारियल, 5. [15][.....] [16][.....] 6. पिण्ड खजूर, 7. सूखा मेवा, 8. सोनामुखी]

1. अधिसूचना प. (2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, एस.ओ. 222 दिनांक 28.08.1979 जो राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) दिनांक 23.08.1979 में प्रकाशित द्वारा विलोपित किया गया।
2. अधिसूचना प. (2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 28.03.1978 जो राज. राजपत्र 4ग (II) दिनांक 6.4.1978 पर प्रकाशित द्वारा जोडा गया।
3. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 24.09.1986, एस.ओ. 194 राज. राजपत्र भाग 4ग (II) दिनांक 11.12.1986 पर प्रकाशित द्वारा जोडा गया।
4. उपरोक्त द्वारा शब्द "हरी और लाल मिर्च" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
5. उपरोक्त द्वारा शब्द "चुकन्दर" विलोपित किया गया।
6. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/75, दिनांक 21.5.2005 द्वारा शब्द "पालक", "हर पत्ते वाला धनियां", "हरी पत्तीदार मेथी" को विलोपित किया गया।
7. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/89/11 दिनांक 8.1.1998 द्वारा जोडा गया।
8. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 24.9.1986, एस.ओ. 194 राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4-ग (II) दिनांक 11.12.1986 पर प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
9. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 23.5.2005 जो राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4-ग दिनांक 30.5.2005 पर प्रकाशित द्वारा शब्द "बांस" विलोपित किया गया।
10. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 15.9.2006 द्वारा "इमारती लकडी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
11. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 24.7.1978 जो राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4-ग (II) दिनांक 27.7.1978 पर प्रकाशित द्वारा जोडा गया।
12. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 24.9.1986 एस.ओ. 194 जो राज. राजपत्र विशेषांक 4-ग (II) दिनांक 11.12.1986 पर प्रकाशित द्वारा जोडा गया।
13. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 29.12.2005 द्वारा जोडा गया।
14. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 25.1.2006 जो राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4-ग (II) दिनांक 28.1.2006 पर प्रकाशित द्वारा जोडा गया।
15. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 24.2.2009 द्वारा शब्द "नारियल पानी वाला" विलोपित किया गया।
16. अधिसूचना प.10(2) कृषि/ग्रुप-2/बी/75, दिनांक 13.10.2006 द्वारा शब्द "सूखा मेवा" को विलोपित किया गया।